

निबंध संग्रह

निबंध लेखन- परिचय

निबंध-लेखन कला

गद्य की विधाओं में निबंध-रचना एक मुख्य विधा है। निबंध गद्य-रचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। अनुभव तथा ज्ञान का कोई भी क्षेत्र निबंध का विषय बन सकता है। जैसे - गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, होली, दिपावली, मेरा प्रिय कवि आदि।

निबंध लिखने के लिए लेखक के विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। विषय के प्रति अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए निबंध की भाषा का प्रभावशाली होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे निबंध के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है -

1. निबंध के द्वारा लेखक अपने विचारों को ठीक से प्रस्तुत करता है।
2. इसमें स्पष्टता और सजीवता होनी चाहिए।
3. भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण होती है, साथ ही फैलाव के लिए मुहावरों, लोकोक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है।
4. इसमें भूमिका व निष्कर्ष देना ज़रूरी है।

निबंध के अंग

निबंध के मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन अंग होते हैं -

1. प्रस्तावना (भूमिका) - प्रस्तावना या भूमिका निबंध के प्रति पाठक के मन में रुचि पैदा करती है। यह अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए।
2. विषयवस्तु (विवेचना) - यह निबंध का प्रमुख अंग है। इसमें विषय संबंधी बातों पर चर्चा की जाती है।
3. उपसंहार - यह निबंध का अंतिम अंग है। इसमें निबंध में कही गई बातों को सार-रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

आत्मनिर्भरता

मनुष्य के जीवन में आत्मनिर्भर होना परम आवश्यक है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है, स्वयं पर निर्भर रहना अर्थात् अपनी ज़रूरतों और सुख-सुविधाओं को स्वयं पूरा करना। आत्मनिर्भरता जहाँ उसे स्वावलंबी बनाती है, वहीं उसमें आत्मविश्वास का सुख भी भरती है। आत्मनिर्भरता हर मनुष्य के लिए आवश्यक है।

दूसरों पर निर्भर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है और उसकी स्वयं की शक्ति, योग्यता और स्वाभिमान का हास होता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए सक्षम होता है। उसे जीवन में फैसले लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता।

इसी कारण उसे अपना अच्छा-बुरा सोचने की शक्ति को बल मिलता है। वह अपने साथ-साथ परिवार की भी देखभाल करता है। आत्मनिर्भरता उसमें कर्तव्य की भावना का विकास करती है। समाज में उसे इसी के कारण विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है।

'जीवन' संघर्षों, विषमताओं, कष्टों और सुखों के मिले-जुले ताने-बाने का नाम है। जीवन में संघर्ष उसे लड़ने की प्रेरणा देते हैं। विषमताएँ उसके अंदर सूझ-बूझ और समझदारी आदि गुणों को विकसित करती है। कष्ट उसे मानसिक तौर पर मज़बूत बनाते हैं और धैर्य को बढ़ाते हैं। सुख उसमें विश्राम, आत्मविश्वास, शान्ति आदि गुणों का विकास करते हैं।

इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए मनुष्य स्वयं को तभी संभाल पाता है, जब वह आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता उसे दृढ़ सबल देती है। वह हर परिस्थिति में समान भाव से रहते हुए स्वयं को निकाल पाता है। परन्तु यदि वह आत्मनिर्भर नहीं है, तो सुख भी उसके लिए दुख से कम नहीं होता।

जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता, उसे सदा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसका आत्मसम्मान दूसरों के द्वारा सदैव खण्डित किया जाता है। समाज में उसे लोगों द्वारा हीन-दृष्टि से देखा जाता है। वह सबके सम्मुख महत्वहीन हो जाता है। किसी विद्वान ने सही कहा है, "मानव का महत्व आश्रित बनने में नहीं, आश्रय देने में है।" आश्रय देने में जो सुख है, वह आश्रित होने में कहाँ है?

आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने साथ-साथ देश, समाज, परिवार सबका कल्याण करते हैं। यदि समाज में आत्मनिर्भर व्यक्तियों की संख्या अधिक है, तो समझ लीजिए कि देश, समाज और परिवारों की उन्नति और प्रगति हो रही है। इसके विपरीत यदि देश में आत्मनिर्भर व्यक्तियों की कमी है, तो यह समझ लीजिए कि देश, समाज और परिवारों की स्थिति कितनी दयनीय है।

आत्मनिर्भरता मनुष्य के अंदर अन्यास ही विभिन्न शक्तियों का संचार कर देती है। वह स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, समझदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बन जाता है। ये उसके विकास के लिए आवश्यक बिन्दु हैं। यह ज़रूरी नहीं की आत्मनिर्भर बनने के लिए मनुष्य का शिक्षित होना आवश्यक है। क्योंकि ऐसे बहुत से युवा हैं, जो ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते परन्तु व्यापार में उन्हें अपार सफलता मिली होती है। वह भी आत्मनिर्भर होते हैं। शिक्षा मनुष्य के जीवन को नई और विकसित विचारधारा से सोचने का अवसर प्रदान करती है। देश और अपने आस-पास को समझने में योगदान देती है।

आत्मनिर्भर बनाने में भी उसकी मुख्य भूमिका होती है। अतः हमें शिक्षा के महत्व को नकार नहीं सकते। परन्तु अशिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता यह भी सत्य नहीं है। छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता मनुष्य के जीवन का ऐसा केंद्र-बिन्दु है, जहाँ से उसके सभी स्वप्न साकार होते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए, जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। हमें भी चाहिए कि स्वयं भी आत्मनिर्भर हों और औरों को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। यही हमारी सच्ची जीत है।

कंप्यूटर उसके लाभ और हानियाँ

मनुष्य आरंभ से ही इतिहास को सहेजकर रखने की चेष्टा करता रहा है। उसने अपने द्वारा लिखित सामग्री को ताड़पत्रों, गुफाओं की दीवारों, चट्टानों, शीलालेखों आदि पर सहेजकर रखने का प्रयास किया है। परन्तु उसके द्वारा लिखित अधिकतर सामग्री नष्ट हो गई है। जो कुछ बची भी हुई है, वे इस दशा में हैं कि वे हमारे लिए अनुपयोगी हो गई हैं।

इन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। मनुष्य के इस आविष्कार ने उसके कार्यों को सरल व प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनुष्य द्वारा कंप्यूटर की खोज (निर्माण) ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। कंप्यूटर में उसने सर्वप्रथम अपनी ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक, आविष्कारों, चिकित्सा आदि संबंधी समस्त जानकारीयों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। कंप्यूटर में जानकारीयों को एकत्रित करने से उनके नष्ट होने का भय जाता रहा। उनका संरक्षण करना अब आसान हो गया। ऐसा करने से लोगों को महत्वपूर्ण और अधिक-से-अधिक जानकारीयों उपलब्ध कराई जा सकती थीं। इंटरनेट के आविष्कार ने इस समस्या का समाधान भी कर दिया।

कंप्यूटर के आविष्कार से पहले मनुष्य को अपने कार्यों को करने के लिए बड़ी जटिलता से गुजरना पड़ता था। वह अपने पत्र व अन्य कार्यों को टाइपराइटर के माध्यम से करवाया करता था। इससे उसका बहुत समय नष्ट हो जाता था। टाइपराइटर में गलतियों की संभावना बनी रहती थी, इससे कागज़ भी अधिक बर्बाद होते थे। समाचार-पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं से संबंधी क्षेत्रों में तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परन्तु कंप्यूटर के आविष्कार से इन क्षेत्रों में जो क्रांति आई वह काबिले-तारीफ़ है।

कंप्यूटर के माध्यम से डिज़ाइनिंग व छपाई को एक नया स्वरूप मिला। वर्तमान समय की पत्र-पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में जो बदलाव आया है, वो भी कंप्यूटर की ही देन है। कंप्यूटर के आविष्कार के साथ ही कई नए कार्य क्षेत्रों का जन्म हुआ, जिससे रोज़गार के नए अवसर भी पैदा हुए। आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपना स्थान बना चुका है। विभिन्न स्थानों जैसे- हवाई-अड्डा, रेलवे स्टेशन, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, बैंक, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, अस्पतालों आदि में कंप्यूटर अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं। इनके बिना इन क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

एक विद्यार्थी के लिए तो यह रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। पहले विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के लिए पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित रहना पड़ता था, जिससे उनका ज्ञान भी सीमित रहता था। कंप्यूटर के माध्यम से उनका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत बन गया है। अब उन्हें एक ही विषय से सम्बन्धित ढेरों जानकारीयों घर में रहकर ही उपलब्ध हो जाती हैं। उनका ज्ञान क्षेत्र अब सीमित दायरों से निकलकर विशाल समुद्र की तरह हो गया है। कंप्यूटर के इतने सारे गुणों को देखते हुए इसे मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना गया है।

कंप्यूटर के लाभ हैं, तो हानियाँ भी कम नहीं हैं। यदि कंप्यूटर में वायरस आ जाए, तो समस्त जानकारीयों नष्ट हो जाती हैं। कुछ अपराधिक लोगों द्वारा, तो कई बैंकों या देश की सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से घुसपैठ की जाती है। यह बहुत गंभीर विषय है। साइबर क्राइम इसी से जुड़ा माना जाता है। इसके अधिक प्रयोग से सरदर्द, पीठ दर्द, आँखों संबंधी परेशानी जैसी बहुत-सी बीमारियाँ हो जाती हैं। विद्यार्थियों व अन्य युवा कंप्यूटर के सामने दिनभर बैठे रहते हैं। अपना कीमती समय वह इसमें

गेम खेलने में नष्ट कर देते हैं या चैटिंग करने में नष्ट करते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। बिजली की खपत भी इससे अधिक होती है। बिजली के नहीं होने पर कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। जब तक बिजली नहीं आती, तब तक सारा काम ठप्प हो जाता है।

इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हर वस्तु के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पहलू होते हैं। यदि वह हमारे लिए लाभकारी है, तो कहीं-न-कहीं उसके नुकसान भी अवश्य होते हैं। हमें चाहिए उस वस्तु का प्रयोग सोच-समझकर करें ताकि उसका भरपूर लाभ स्वयं को नुकसान पहुँचाए बिना उठाया जा सके।

गाँवों की विशेषताएँ या गाँव और हमारी संस्कृति

भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। ये हमारे राष्ट्र की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। गाँव हमारे राष्ट्र की धरोहर है। एक देश का स्वरूप उसके गाँव से बनता है। यह हमारे जीवन का वह अंग है, जिन्हें देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। इनका अस्तित्व में होना हमारी पहचान का जीवित होना है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के रक्षक हैं।

शहरों की जीवनशैली और संस्कृति गाँवों से सर्वथा भिन्न हैं। यहाँ का आदमी धन कमाने में इतना व्यस्त होता जा रहा है कि वह स्वयं के स्वार्थियों के कारण दया, माया, करुणा, ममता आदि भावनाओं से दूर हो गया है। संस्कृति के नाम पर यहाँ बस नकल रह गई है।

अपनी संस्कृति को भूलाकर शहरों ने अनुसरण की संस्कृति अपना ली है। गाँवों की संस्कृति की मुख्य विशेषता यह है कि वह अनुसरण की नीति से अछूती है। आज यदि अपनी संस्कृति के दर्शन करने हैं, तो गाँवों में जाकर देखें। यहाँ जितनी सुख और शांति मिलती है, वह शायद ही कहीं ओर मिले।

पूजा, पर्व, अनुष्ठान, लोकगीत, संगीत, वेशभूषा, रहन-सहन, खान-पान का सुंदर और सादा रूप यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये सब हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण रूप हैं। इन सबसे मिलकर एक संस्कृति आकार लेती है। हमारी संस्कृति की महक आज भी जिंदा होकर हमें हमारे अस्तित्व का एहसास कराती है। गाँवों ने इसे बालक की भाँति संभालकर और सहेजकर रखा है।

गाँवों में हर छोटे-बड़े पर्वों पर खूब धूम होती है। ये पर्व वर्षों से पुरानी परंपराओं के अनुसार मनाए जाते हैं। हर त्योहार, अनुष्ठान और पुजा महत्वपूर्ण होती है। सभी मिलकर इनको पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। विभिन्न गाँवों से जुड़े लोकगीत भारत की आत्मा हैं। इन लोकगीतों की धुन पर सब एकसाथ नाच और थिरक उठते हैं। इनकी थिरकन हृदय को आनन्दित कर देती है। वेशभूषा की सादगी मन को हर लेती है। शहरों में आधुनिकता और फैशन के नाम पर जो वेशभूषा प्रयोग की जा रही है, वे हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं।

वह संस्कृति तो अनुसरण की संस्कृति है। हर राज्यों से जुड़े गाँवों के खान-पान में विभिन्नता नज़र आती है। ये खान-पान हमारे देश की जान हैं। यदि हमारे देश में पकने वाले व्यंजनों का अनुमान लगाया जाए, तो वे अनगिनत होंगे। किसी देश में इतने प्रकार के व्यंजन शायद ही देखने को मिलते हैं। जो स्वाद और रस इनके खाने में मिलता है, वे हमारे शहरों में कहाँ! हमारी संस्कृति की ये वे विशेषताएँ हैं, जिनकी शहरों में कमी अखरती है।

शहरों की देखा-देखी के कारण गाँवों के अस्तित्व में संकट खड़ा हो गया है। गाँव की युवा-पीढ़ी भी शहरों की संस्कृति का अनुसरण करने लगी हैं। वे इनकी चमक-दमक में अपने अस्तित्व को धुंधला रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि गाँव हमारी श्वास के समान है यदि हमने अपनी श्वास के आने-जाने का मार्ग ही अवरुध कर दिया, तो हम स्वयं कैसे जीवित रह पाएँगे।

कहीं ऐसा न हो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होते-होते हम स्वयं की पहचान और स्वरूप को खो दें। यदि ये खो गए, तो हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ शेष नहीं होगा। हमें चाहिए कि बदलाव अवश्य करें पर वो जो सही हों। अपनी संस्कृति के मूल्य पर किया गया बदलाव पछतावे के सिवाए कुछ नहीं देगा।

गुरूनानक साहिब

हम किसी भी धर्म में दृष्टि डालें, तो हम यही पाएँगे कि हर धर्म की नींव रखने में किसी-न-किसी महान व्यक्ति का हाथ रहा है। इन्होंने अपने ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन किया है। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएँ अमृत वाणी कहलाईं। इन्होंने अपने संदेश द्वारा समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे जैसी सुंदर भावनाओं का प्रचार-प्रसार किया है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे, गुरु नानक देव जी। यह सिक्खों के सबसे पहले गुरु थे। इनके द्वारा ही सिक्ख धर्म की नींव रखी गई थी।

इनका जन्म लाहौर से 30 कि.मी. दूर तलवंडी नामक गाँव में 15 अप्रैल, सन् 1469 ई. में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। इनका जन्म स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। इसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम कालूचंद बेदी और इनकी माताजी का नाम त्रिपाता था। इनके पिता तलवंडी के राजपूत शासक के पास कार्य करते थे। कहा जाता है, इनके जन्म के समय पूरा कमरा रोशनी से प्रकाशित हो गया था। इनकी जन्मकुण्डली बनाने वाले पंडित ने इनके यशस्वी होने की घोषणा कर दी थी।

बचपन से ही बालक नानक ने आध्यात्म से जुड़ी बातों में चर्चा करनी आरंभ कर दी थी। उनका मन घर के कार्यों और पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता था। खेती-बाड़ी के कार्यों में भी वह अपना मन नहीं रमा पाए। वह हमेशा ध्यान में मग्न हो जाते और पिता से डांट-फटकार सुनते। एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपये देकर सच्चा सौदा करके लाने को कहा।

उन्होंने पिता का दिया सारा पैसा साधु-संतों की सेवा में लगा दिया और पिता के क्रोध करने पर उन्हें कहा कि यही सच्चा सौदा है। पिता ने तंग आकर उनका विवाह बटाला गाँव की कन्या सुलक्खनी से कर दिया। उनसे उनके दो पुत्र हुए श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। परन्तु गृहस्थ जीवन में भी ज्यादा समय तक उनका मन नहीं रमा।

उनके पिता ने तंग आकर उन्हें उनकी बहन के घर सुल्तानपुर भेज दिया। अपने बहनोई जयराम जी के अथक प्रयासों से वह सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खाँ के पास मादी के काम के लिए रख लिए गए। वे अपने वेतन का ज्यादातर भाग साधु-सन्तों और गरीबों में बाँट दिया करते थे। अंत में उन्होंने सबकुछ छोड़कर भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा आरंभ कर दी।

उनका शिष्य मरदाना पूरी यात्रा में उनके साथ परछाई की तरह रहा। अपने कार्यों और अनमोल वचनों के कारण नानक की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। नानक साहब ने अपने जीवन में तीन बड़ी यात्राएँ की थीं।

बगदाद की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहाँ वह अपने संदेश से बगदाद के खलीफा का हृदय जीत आए थे। अंत में यह करतारपुर में जाकर बस गए। सन 1539 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।

नानक साहब का मानना था कि ईश्वर एक है। वह सबके हृदय में वास करता है। मूर्ति पूजा व्यर्थ है। उनके अनुसार हिन्दू हों या मुस्लिमान सभी ईश्वर की संताने हैं। वे आपस में भाई-भाई हैं। ईश्वर से बड़ा सत्य कोई नहीं है। उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं, पूजा-आडंबरों का भरसक विरोध किया। उनके अनुसार मनुष्य को गरीबों और साधु-संतों की सेवा करनी चाहिए। जीवन में दान करना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है। इनकी शिक्षाएँ आज भी हमें जीवन मार्ग पर सच्चाई से चलना सिखाती है।

चिट्ठियों का अनूठा संसार

चिट्ठियों के माध्यम से हम मन के भावों को एक पत्र में उतारकर उस पत्र को एक लिफाफे में डाल देते हैं और डाक-टिकट लगाकर निश्चित पते पर भेज देते हैं। ये बिना बोले अपना कार्य पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। ये हज़ारों वर्षों से हमारे अपनों की जानकारियाँ लाती रहीं हैं। ये स्वयं में एक अनूठा संसार है।

हमारे जीवन में चिट्ठियाँ विशेष महत्व रखती हैं। हज़ारों मील की दूरियाँ चिट्ठियों के माध्यम से सिमट कर रह जाती हैं। इसका स्वरूप समय के अनुसार बदलता रहा है। पहले के समय में संदेशवाहक; जैसे- घुड़सवार या हरकारों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजा जाता था। परन्तु उस समय यह बहुत कठिन कार्य था। अपने रिश्तेदारों की कुशलक्षेम महीनों बाद प्राप्त होती थीं।

मनुष्य ने कबूतरों द्वारा पत्र-व्यवहार का प्रयास भी किया था। कबूतर के पैरों में छोटे-छोटे संदेश बांध दिए जाते थे। इनका प्रयोग राजाओं द्वारा युद्ध में या राजाओं के गुप्तचर विशेष परिस्थितियों में ही करते थे। यातायात के साधनों में हुए बदलावों ने इस दिशा में नई क्रांति को जन्म दिया।

उसके बाद तो जैसे दुनिया ही बदल गई। चिट्ठियाँ वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजी जाने लगीं। ये स्थान डाकघर कहलाते हैं। चिट्ठियाँ बांटने वाले को डाकिया कहते हैं। डाकियों का कार्य होता है, इन डाकघरों से चिट्ठियाँ लेकर उनके सही गंतव्य स्थान पर पहुँचाना। यह कार्य बहुत कठिन होता है। कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ पर सुगमता से नहीं पहुँचा जा सकता है।

ऐसे में उन चिट्ठियों को सही स्थान पर पहुँचना हिम्मत का कार्य है। अंतरदेशीय पत्र और पोस्टकार्ड के माध्यम से संदेश सरलतापूर्वक अपनों को मिलने लगे। अब इससे भी आधुनिक साधन; जैसे- स्पीड पोस्ट, कुरियर आदि के द्वारा संदेश शीघ्रता से भेजे जाने लगे थे। विज्ञान के आविष्कारों ने इसको और भी सरल और सुगम बना दिया है।

विज्ञान ने कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार कर दुनिया को मानो छोटा कर दिया है। अब आप हज़ारों मील दूर रहने वाले अपने सगे-संबंधियों से घर बैठे ही बातचीत कर सकते हैं या संदेश लिखकर दे सकते हैं। बस आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए।

इसके द्वारा आपको लगेगा ही नहीं कि आपके अपने आपके पास नहीं हैं। आज चिट्ठियों का स्वरूप पत्रों से निकलकर ई-मेल और एस.एम.एस. का रूप धारण कर चुका है।

युग बदल जाएँ, इनका स्वरूप बदल जाए परन्तु चिट्ठियों की दुनिया हमेशा से निराली और प्यारी रही हैं। चिट्ठियों का चाहे रूप बदलता रहा हो परन्तु इनकी विशेषता और महत्व में कभी कमी नहीं आई है। चिट्ठियाँ चाहे पहले कागज़ पर लिखी जाती थीं और आज कंप्यूटर पर लिखी जाती हैं लेकिन पढ़ने वाले को वह आज भी भावुक कर देती हैं। जब तक की मनुष्य में आपसी प्रेम की भावना विद्यमान रहेगी, तब तक चिट्ठियों का अस्तित्व रहेगा।

ये भावनाओं, आशीर्वाद और प्रेम से भरा पत्रा है। जिसकी विशेषता पर कोई प्रश्न-चिह्न नहीं लगा सकता है। ये चाहे माँ अपने पुत्र को भेजे, पिता अपने बेटे को भेजे, पत्नी अपने पति को भेजे, बच्चे अपने दादा-दादी या नाना-नानी को भेजें, इनका स्वरूप सुंदर और मन को भाव-विभोर करने वाला होगा। इनके माध्यम से रिश्तों की डोर दूर होते हुए भी आपस में जुड़ी हुई है। यह दूर रहने वाले की आस है। ये एक आशा है कुशल-क्षेम जानने की।

टेलीविज़न के लाभ और हानियाँ

वर्तमान समय में टेलीविज़न का बोलबाला है। आज के इस युग में अमीर हों या गरीब हों, सबके घरों में टेलीविज़न अवश्य मिलेगा। टेलीविज़न के बिना एक घर की कल्पना करना असम्भव सा है। यह मनुष्य के मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है इसलिए यह मनोरंजन का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सुलभ साधन बन चुका है।

टेलीविज़न का सामाजिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान में वृद्धि करता है। इसकी लोकप्रियता का ही आलम है कि 143 और नए टी.वी. चैनलों ने प्रसारण मंत्रालय से प्रसारण का अधिकार माँगा है। आज इसकी पहुँच गाँव-गाँव तक है।

आज से 20 साल पहले टेलीविज़न पर दूरदर्शन चैनल का एकछत्र राज था। उसके द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का बोलबाला हुआ करता था। उसके द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रम जैसे: हम लोग, चित्रहार, चित्रमाला, रामायण, महाभारत, मालगुड़ी डेज़, स्पाइडर मैन आदि थे। दूरदर्शन के द्वारा शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते थे, जिनमें विज्ञान व गणित से जुड़े विषय हुआ करते थे।

ज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम बच्चों में खासा लोकप्रिय हुआ करता था। यू.जी.सी. में ऐसे बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे, जो बच्चों को उनकी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री दिया करते थे।

आज की स्थिति इसके विपरीत है। अब टेलीविज़न में दूरदर्शन का एकछत्र राज नहीं रह गया है। रोज नए चैनल टेलीविज़न में प्रसारित किए जा रहे हैं। ये सब 'केबल' क्रान्ति के माध्यम से ही सम्भव हो पाया है। आज तकरीबन 80-90 चैनल टेलीविज़न में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये चैनल दर्शकों की माँग व ज़रूरत के आधार पर कार्यक्रम दे रहे हैं।

टेलीविज़न पर अनेक प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं। ये चैनल ज्ञान संबंधी व मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम दे रहे हैं। ये चैनल इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि दर्शकों को उनकी उम्र व पसंद के मुताबिक ही कार्यक्रम दिए जाएँ इसलिए इनका प्रभाव दिन-प्रतिदिन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है।

ये चैनल महिलाओं, पुरूषों, बच्चों, वृद्धों, युवावर्गों और किसी भी व्यवसाय से जुड़े लोगों की पसन्द व ज़रूरतों के अनुसार कार्यक्रम देते हैं। इस प्रकार घर में बैठे-बैठे आप टी.वी. के माध्यम से अपनी रूचि के अनुसार कार्यक्रम को देख सकते हैं। इन चैनलों के माध्यम से बाज़ार में उपलब्ध हर छोटे बड़े उत्पादों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं।

इससे उत्पादक बनाने वाली कंपनियों की सीधी पहुँच जनमानस तक होती है, जो उत्पादक धारकों व विक्रेताओं दोनों के लिए लाभकारी होता है। समाचार चैनलों के माध्यम से आम जनता को सरकार की नीतियों का पता चलता रहता है। सरकार आम जनता के पक्ष में क्या कार्य कर रही है और क्या नहीं इस विषय में भी इन टी.वी. के माध्यम से जनता जागरूक रहती है।

टी.वी ने जहाँ हमारे युवावर्ग पर अच्छा प्रभाव डाला है। उनके अध्ययन से सम्बन्धित जानकारियाँ, उन्हें चैनलों द्वारा प्रसारित शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों से मिल जाती है। भक्ति व देशभक्ति कार्यक्रमों द्वारा उनका सही मार्गदर्शन होता है और वे दिशा भ्रमित नहीं होते। ज्ञान-विज्ञान प्रतियोगिताओं द्वारा उनका बौद्धिक व मानसिक विकास होता है।

इन टेलीविज़न की दर्शकों तक सीधी पहुँच के कारण युवावर्ग पर इसका अच्छा व बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ एक ओर हमारे मनोरंजन के लिए यह सशक्त माध्यम है, वहीं हमारे लिए जी का जंजाल भी बनता जा रहा है।

टी.वी चैनलों का प्रभाव चूँकि सीधा पड़ता है इसलिए हमें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आज टेलीविज़न के माध्यम से सेक्स व हिंसा परोसी जा रही है, उससे हमारा युवावर्ग हिंसा में ज़्यादा घुलता दिखाई पड़ रहा है। इस कारण समाज में दिन-प्रतिदिन खून-खराबा, लड़ाई-झगड़े, चोरी-चकारी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 20 साल पहले दूरदर्शन में जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे, वो समाज में सदैव अच्छी सीख का प्रसार करते थे।

परन्तु आज के टी.वी. चैनलों के नैतिक मूल्यों में गिरावट बनी हुई है। उनका मकसद दर्शकों तक अपनी पहुँच व अपनी टी.आर.पी. को बढ़ाना है। इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। कार्यक्रमों में अश्लीलता पर ज़ोर दिया जा रहा है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने का ही परिणाम है।

इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था में बुरा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी टी.वी. हम पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। लगातार टी.वी. देखने से आँखों संबंधी बीमारी अधिक देखने को मिलती है। महिलाएँ अधिक टी.वी. देखने के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती। बच्चे इसके कारण पढ़ाई से लापरवाह हो रहे हैं।

टी.वी. चैनलों द्वारा प्रसारित अधिकतर कार्यक्रम अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए हिंसा व अश्लीलता से भरे रहते हैं, जिसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण न होने से हर चैनल में इन्हें दिखाने की होड़ लगी रहती है। ये सब हमारे समाज के लिए हानिकारक हैं। हमें चाहिए कि हम इन कार्यक्रमों के प्रति पूरी सावधानी बरतें। अपने बच्चों व युवावर्ग को इनसे दूर रखें क्योंकि यदि हम इन कार्यक्रमों के प्रति लापरवाह हो जाएँगे, तो यह कार्यक्रम हमारे बच्चों व युवावर्ग को भ्रमित कर उनको अपने पथ से विचलित कर सकते हैं। हमें

चाहिए कि सिर्फ उन्हीं चैनलों व कार्यक्रमों को देखें, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं न कि हमारे विकास के मार्ग में बाधक हैं। टी.वी. का निर्माण हमारे मनोरंजन के लिए किया गया है। इसको मनोरंजन का साधन ही बने रहने में हमारी भलाई है।

दिल्ली का ट्रेड फेयर

प्रगति मैदान में हर साल 'इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर' की धूम देखने लायक होती है। दिल्ली का विशाल जनसमूह इस मेले में भाग लेता है। यहाँ व्यापारीगणों के अलावा विद्यार्थीगण व साधारण जन-मानस भी इसे देखने आते हैं। इसकी लोकप्रियता यहाँ पर विशाल जनसमूह देखकर ही लगाई जा सकती है।

प्रगति मैदान में मेले का आयोजन नवम्बर के महीने में किया जाता है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार प्रगति मैदान का मेट्रो रेल से जुड़ जाने के कारण भविष्य में यहाँ लगभग 25 लाख दर्शकों की आने की संभावना है। ट्रेडफेयर की दर्शकों के बीच बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, इसके टिकट जगह-जगह स्थानों में उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती रही है।

इस मेले की टिकट मंदिर डेरी, मेट्रो स्टेशनों, डी.टी.सी. बस काउंटरो, पेट्रोल पंपों आदि स्थानों पर भी सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। मेले का पहला सप्ताह व्यापारीगणों के लिए निर्धारित किया जाता है। यह इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यह मेला व्यापार मेला है। इस मेले में देश-विदेश के व्यापारी भाग लेते हैं। वे अपने लिए इसमें बेहतर व्यापार के लिए संभावनाएँ तलाशते हैं।

अतः कुछ दिन उनके लिए सुरक्षित रखे जाते हैं क्योंकि विशाल जनसमूह की उपस्थिति में व्यापार के विषय में कार्य करना कठिन होता है। आम जनता के लिए उसके पश्चात प्रवेश आरम्भ किया जाता है।

इस मेले में लाखों लोगों के आने की संभावना के कारण सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े होते हैं। मेले की आयोजन कमेटी ने ट्रेड फेयर को 'ग्रीन फेयर' का सम्मान दिया है और इसे नो 'स्मोकिंग जोन' में रखने का प्रयास किया है। ट्रेड फेयर में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ 22 से ज्यादा देश भाग लेते हैं। इस मेले में खाने का लुप्त उठाने के लिए 'भारत का खाना' नामक फूड प्लाजा की व्यवस्था की गई है।

इस मेले में प्रत्येक देश अपने देश की विशेष वस्तुओं को भारतीय जनता के समक्ष रख सके और उसे बेच भी सके आयोजकों द्वारा ऐसी व्यवस्था भी की जाती है। सभी देश के व्यापारी इस व्यापारिक मेले का उचित लाभ उठा सकें, यही इस मेले का मुख्य उद्देश्य होता है।

इसके विभिन्न पविलियन में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों, राज्यों, और सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण प्रगति को विभिन्न झाँकियों और चरणों के माध्यम से दिखाया जाता है। इन झाँकियों के बारे में सुनकर सभी दिल्लीवासी मेले को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और सभी मेले के आरम्भ होने का इंतजार करते हैं। इस मेले की शोभा देखते ही बनती है। चारों ओर विशाल जनसमूह उमड़ा रहता है। खाने के विभिन्न स्टाल लगे होते हैं। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी होता है।

हर देश के अलग-अलग स्टाल लगे होते हैं। जहाँ आश्चर्यचकित करने वाले सामान मिलते हैं। बच्चों के लिए यह विशेष आकर्षण का केन्द्र होता है। स्त्रियाँ विभिन्न राज्यों से साज-सज्जा के वस्त्र व आभूषण खरीदती

हैं। हर वर्ष मेला देखने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मेले के आयोजक इसकी सफलता के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। यह मेला हर किसी को आनंद और लाभ देने वाला होता है।

दिल्ली मेट्रो

'दिल्ली' भारत की राजधानी और एक महत्वपूर्ण महानगर है। इसके विकास के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। 'मेट्रो रेल' दिल्ली के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मेट्रो रेल से पहले दिल्ली की यातायात व्यवस्था बहुत ही दयनीय थी। सरकारी बसों के सहारे दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर भरोसा करना कठिन था। प्राइवेट बसों के मालिकों और उनके चालकों के मनमाने रवैये से दिल्ली परेशान थी।

अतः सरकार ने मेट्रो को दिल्ली में लाने का निश्चय किया। आरंभ में इसका भरसक विरोध किया गया। परन्तु 24 दिसंबर, 2002 को मेट्रो ने अपनी पहली यात्रा की। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को इस परियोजना को आरंभ करवाने का श्रेय मिला। उन्होंने शाहदरा से लेकर रिठाला तक की मेट्रो को आरंभ किया था।

इन दस सालों में पूरी दिल्ली में मेट्रो का जाल फैल गया है। आज मेट्रो नोयडा, बदरपुर बार्ड, मैहरोली, रिठाला, द्वारिका, गुडगाँव आदि स्थानों तक जाती है। इसका मुख्य केंद्र दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित राजीव चौक है, जहाँ से हर स्थान के लिए मेट्रो बदली जा सकती है। मेट्रो लाने के पीछे यही उद्देश्य रहा है कि दिल्ली की जनता को यातायात के कारण आ रही कठिनाइयों से मुक्ति दिलाई जा सके।

भूमिगत मेट्रो स्टेशन और मेट्रो रेल पूरी तरह वातानुकूलित है। कंप्यूटर के माध्यम से वायु के मार्ग को नियंत्रित किया जाता है। भूमि के नीचे बड़ी-बड़ी सुरंगों के द्वारा मेट्रो का मार्ग निर्धारित किया गया है। स्टेशन पूरी तरह आधुनिक है। इनके प्लेटफार्मों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रणालियों का प्रयोग किया गया है।

मेट्रो में हर तरह की समस्या या कठिनाइयों के निवारण हेतु हर संभव इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो में बिजली की सुविधा चौबीसों घंटें हैं यदि बिजली चली भी जाए, तो आईपी गैस टरबाइन आदि की व्यवस्था की गई है।

मेट्रो भूमिगत मार्गों के साथ-साथ बड़े स्तंभों पर भी इसके मार्ग की व्यवस्था की गई है। जहाँ पर रास्ते संकरें हैं, वहाँ से सुरंग निकाली गई है। भूमिगत मेट्रो हो या स्तंभों पर बने सेतु मार्ग की यात्रा करने का अपना ही आनंद है। इसके सभी प्लेटफार्म इतने आधुनिक हैं कि वह यूरोपी देशों की याद दिलाते हैं। पूरे भारत में कलकत्ता के बाद दिल्ली ऐसा शहर है, जहाँ मेट्रो ट्रेन चल रही है। इसके एक टोकन से आप मेट्रो में सुविधाजनक सफ़र कर सकते हैं।

दिल्ली मेट्रो ने दिल्लीवासियों की सहूलियत को देखते हुए हर सुविधा का इंतजाम किया हुआ है। इसमें प्रयोग प्रत्येक प्रणाली स्वचलित है। मेट्रो के हर प्लेटफार्म में घड़ियाँ लगाई गई हैं। यात्रियों के लिए हर मिनट में मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लड़कियों के लिए मेट्रो में अलग से डिब्बे की व्यवस्था भी है, जिससे मेट्रो में बढ़ रहे छेड़छाड़ के मामलों को रोका जा सके।

मेट्रो के कारण दिल्ली की रूकती जिंदगी ने गति पकड़ ली है। दूर तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सबसे उत्तम साधन है। बसों और यातायात जाम के कारण उत्पन्न सभी समस्याओं से मेट्रो के द्वारा निज़ात पाया जा सकता है। मेट्रो दिल्ली की शान के रूप में जानी जाती है। मेट्रो की यात्रा के सुख में अपना ही आनंद है।

निरक्षरता एक अभिशाप

'निरक्षरता' समाज और देश पर सबसे बड़ा कलंक है। निरक्षरता देश के विकास और स्वयं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। एक देश का कल्याण तभी संभव हो सकता है, जब तक की प्रत्येक देशवासी साक्षर न हो। सामाजिक बदलाव के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति का साक्षर होना आवश्यक है। परन्तु कई बार प्रश्न उठता है कि साक्षर होना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर यह है- शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का संसार से परिचय होता है।

हमारे देश की अधिकतर समस्याओं का मूल अशिक्षा का होना है। अशिक्षा व्यक्ति की विचारधारा को रोक देती है। वह स्वयं को अंधविश्वासों और रूढ़ियों में घिरा हुआ पाता है। यदि वह साक्षर है, तो उसकी सोच और विचारधारा विकसित होती है। अंधविश्वासों और रूढ़ियों रूपी पट्टियाँ आँखों के समाने से हट जाती है। यहीं से सामाजिक बदलाव आरंभ होता है। जहाँ समाज बदलने लगता है, वहीं देश का विकास भी आरंभ हो जाता है।

स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी थी, जो साक्षर नहीं थी। अंग्रेज़ों के लिए यह लाभकारी स्थिति थी। भारत का लंबे अरसे तक गुलाम बने रहने का कुछ हद तक कारण भी यही था। निरक्षरता इसका मूल थी। देश के नेताओं को यह बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने इसी ओर कदम उठाया। उन्होंने देश में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उस समय निरक्षर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी। स्त्री शिक्षा पर भी विशेष रूप से ज़ोर दिया जाने गया।

नेताओं द्वारा चलाए गए आंदोलन चारों ओर फैलते गए। जनता इस तथ्य से अवगत हो गई कि अशिक्षा उनकी सभी परेशानियों का मूल है। अशिक्षित मनुष्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक बदलावों को समझने में असमर्थ होता है। कुछ चालाक प्रवृत्ति के लोग उनकी इस अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते रहते हैं। साहूकार और ज़मींदार इन्हीं तरह के लोगों में से एक है। इस तरह उनकी जाति भी विकास नहीं कर पाती है और वे अपनी संस्कृति के गौरव को समझने में भी असमर्थ होते हैं।

इन आंदोलनों का परिणाम यह हुआ कि देश के कुछ भागों में साक्षरता को अपनाया गया। जब देश की जनता जागृत होने लगी, तो उन्हें समझ में आया गुलामी उनके अस्तित्व को खोखला बना रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि देश आज़ाद हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे बड़े नेताओं ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण कदम उठाए। परन्तु आज भी देश के कई हिस्से हैं, जिनमें निरक्षरता की दर अधिक नहीं है।

यही बात हमारे लिए खेद का विषय है। जनता जितनी अधिक निरक्षर होगी, वे अपने देश का शासन चलाने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाएगी। यदि देश का मुख्य प्रतिनिधि ही अयोग्य हुआ, तो वह देश को कैसे संभालेगा। हमें इस बात का भली प्रकार से ज्ञान हो जाना चाहिए कि निरक्षरता वह गहरी खाई है, जो देश के विकास को रोके हुए है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा और देश का विकास हो, तो हमें साक्षरता

को अपना होगा और निरक्षरता की जड़ों का उखाड़ फेंकना होगा। सरकार भी इस और प्रयास कर रही है। परन्तु देश के एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हम अपने आस-पास रह रहे निरक्षर लोगों को साक्षर बनाकर, इस अपिशाप से देश को मुक्त करने में एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। यही इस अभिशाप को मिटाने का सुंदर प्रयास होगा।

पढ़ोस का महत्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसकी हर वो ज़रूरत पूरी होती है जो उसके व्यक्तित्व को बनाती है व बिगाड़ती है। समाज के बीच उठ-बैठकर ही उसका चरित्र निर्माण होता है। वह अकेला नहीं रह सकता उसको अपने सुख-दुख बाँटने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। यही ज़रूरत उसे समाज से बाँधती है। व्यक्ति की यही ज़रूरत समाज में सर्वप्रथम पढ़ोस से शुरू होती है। पढ़ोस का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पढ़ोस हमारा पहला ऐसा दायरा होता है जो हमारे सुख-दुख को पहले देखता है।

जब हम किसी नई जगह में घर लेते हैं तो सबसे पहले अपने पढ़ोसियों के विषय में जानने के इच्छुक होते हैं। हम चाहते हैं हमारे पढ़ोसी बेशक किसी भी धर्म व जाति के हों परन्तु वो एक अच्छे घर से सम्बन्धित लोग हों, उनका आचार-व्यवहार सबके लिए अच्छा हो। वह लड़ाकू या आपराधिक प्रवृत्ति के न हो, विश्वसनीय लोग हों तथा विपत्ति के समय में सबकी सहायता करने के लिए तत्पर हों।

इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपने बच्चों व परिवार के सदस्यों के लिए एक स्वस्थ वातावरण की कामना करते हैं। यदि हमारे पढ़ोसी अच्छे हैं तो बच्चों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनके अच्छे विकास के लिए यह अति आवश्यक है। यदि हमारे पढ़ोस में ऐसे लोग रहते हैं जिनमें शिष्टाचार व संस्कार ही न हो तो उनके बच्चे भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे और हमारे बच्चे उनके सम्पर्क में आने से उनसे वही व्यवहार सीखेंगे।

हमें अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी कठिनाई व परेशानियों से जूझना पड़ता है। हर समस्या स्वयं नहीं सुलझाई जाती। उसके लिए किसी न किसी की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। ऐसे में एक अच्छा पढ़ोसी ही काम में आता है। मसलन यदि आप कुछ दिनों के लिए घर से जा रहे हैं तो उस समय एक पढ़ोसी ही आपके पीछे आपके घर की देखरेख करता है। आप उसके भरोसे अपना घर छोड़ सकते हैं।

दूसरे यदि आपके स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और आप नौकरीपेशा हैं तो आप अपने बच्चों को उसकी देख-रेख में छोड़कर निश्चितता से अपनी नौकरी में जा सकते हैं। किसी अकस्मात् दुर्घटना में एक पढ़ोसी ही पहला ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसे में यदि हमारे अपने पढ़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं हैं तो हमारे लिए समस्याएँ विकराल रूप धारण कर सकती हैं।

घर में चोरी हो सकती है, लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं आदि विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि हमारे पढ़ोसियों से मधुर व मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध हैं तो समस्याएँ कभी ज़्यादा भयानक हो ही नहीं सकती।

हमारे पड़ोस में शास्त्री जी रहते हैं। उनके परिवार में दो बेटे व उनकी पत्नी नीला जी हैं। वे सब बहुत सरल व मृदु स्वभाव के लोग हैं। उनके साथ स्वयं हमारे व अन्य आस-पास के लोगों के सम्बन्ध बहुत ही मीठे हैं। वे सदैव सबकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी उपस्थिति सदैव एक छायादार वृक्ष के समान लगती है। मेरे परिवार में, मैं और मेरी बहन रहती है।

चूँकि हम दोनों पढ़ाई के लिए देहरादून से दिल्ली आए हैं इसलिए हम दोनों का यहाँ कोई नहीं है। परन्तु शास्त्री जी व उनकी पत्नी की छत्र छाया में हमें कभी किसी की कमी नहीं लगी। वे हमें अपनी बेटियों जैसा ही मानती हैं। उनके रहते हुए हमें कभी माता-पिता की कमी महसूस नहीं हुई। ऐसा कई बार हुआ जब हमें किसी न किसी परेशानी ने आकर घेरा हो पर उन्होंने सदैव हमारी मदद की।

हमारे बीमार हो जाने पर उन्होंने ही हमें कई बार डॉक्टर को दिखाया। वे हर कदम में हमारे साथ रहे। वहीं से हमने पड़ोस तथा पड़ोसी के महत्व को जाना। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें। यदि हम उनसे व्यवहार और मदद की उम्मीद रखते हैं तो हमें स्वयं भी इसी तरह का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए।

परोपकार

परोपकार दो शब्दों के मेल से बना है, पर (दूसरों) + उपकार, दूसरों पर उपकार अर्थात् भलाई। हम कह सकते हैं, इसका अर्थ है दूसरों की भलाई। परमात्मा ने हमें ऐसी शक्तियाँ व सामर्थ्य दिए हैं, जिससे हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। हम यदि अकेले प्रयत्न करें, तो हमारे लिए अकेले विकास व उन्नति करना संभव नहीं होगा। इसलिए हम केवल अपनी ही भलाई की चिंता करें व दूसरों से कोई सरोकार नहीं रखे, तो इसमें हमारे स्वार्थी होने का प्रमाण मिलता है।

कोई भी मानव अकेले स्वयं की भलाई नहीं कर सकता। उसके अकेले के प्रयत्न उसके काम नहीं आने वाले, उसको इसके लिए दूसरे का साथ अवश्य चाहिए। यदि हम अकेले ही सब कर पाते, तो आज कोई भी मनुष्य इस संसार में दुःखी नहीं रहता। हम सब धनवान, वर्चस्वशाली होने की कामना करते हैं, परन्तु यह सब अकेले संभव नहीं है।

बिना दूसरों की सहायता व सहयोग के कोई व्यक्ति अपने को औसत स्तर से ऊपर नहीं उठा सकता। अगर हम स्वयं के लिए ही सोचकर कोई आविष्कार करें, तो वह आविष्कार व्यर्थ है। अगर कोई भी आविष्कारकर्ता अपने बारे में ही सोचता, तो आज हम इतनी तरक्की नहीं कर पाते। यही भावना हम प्रकृति के कण-कण में देख सकते हैं- सूर्य, चन्द्र, वायु, पेड़-पौधे, नदी, बादल और हवा बिना स्वार्थ के संसार की सेवा में लगे हुए हैं।

सूर्य बिना किसी स्वार्थ के अपनी रोशनी से इस जगत को जीवन देता है, चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से सबको शीतलता प्रदान करता है, वायु अपनी प्राणवायु से संसार के प्रत्येक छोटे-बड़े जीव को जीवन देती है, पेड़-पौधे अपने फलों से सबको जीवन देते हैं और नदियाँ व बादल अपने जल के माध्यम से इस जगत में सबको पानी का अमृत देते हैं। ये सब बिना किसी स्वार्थ के युग-युगों से निरन्तर सब की सेवा करते आ रहे हैं। इसके बदले ये हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते, ये बस परोपकार करते हैं।

रहीम जी का ये दोहा इस बात को और भी सत्यता देता है –

"वृच्छ कबहु न फल भखै, नदी न संचै नीर।

परमारथ के कराने, साधुन धरा सरीर।।"

भारतीय संस्कृति ने सदैव मानव कल्याण पर जोर दिया है। परोपकार से आत्मा को जो संतोष प्राप्त होता है, वह कितना भी धन खर्च करने पर खरीदा नहीं जा सकता। यदि हम परोपकार की प्रवृत्ति को अपनाए, तो विश्व में व्याप्त समस्त मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप हमें जो सुख प्राप्त होगा, वह हमारी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। परोपकार करने का मुख्य कारण है, दूसरों की आत्मा के दुखों को दूर करके स्वयं की आत्मा को सुखी बनाना। रहीम जी कहते हैं–

"वो रहीम सुख होत है उपकारी के संग।

बाँटने वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग।।"

इसलिए हमारे विद्वानों ने सदा परामर्श दिया है कि स्वयं के लिए जीना छोड़कर ईश्वर द्वारा दिए गए साधनों और अपनी क्षमताओं का एक अंश सदा परोपकार में लगाना चाहिए। मात्र दान-पुण्य, पूजा-पाठ, भण्डारे आदि से परोपकार नहीं किया जाता। ये सब दिखावा व भ्रम मात्र है। जो परस्पर सेवा, सहायता और करुणा का सहारा लेते हुए सबका भला करते हैं, वही लोग समाज को प्राणवान और जीवंत बनाए रखने का काम करते हैं।

महात्मा गाँधी, मदर टेरेसा, जैसी हस्तियों के उदाहरण आज समाज में कम ही देखने को मिलते हैं पर फिर भी इनके द्वारा ही समाज में आज परोपकार की भावना जीवंत है। हमें परोपकार को जीवन का उद्देश्य बनाकर इसे करते रहना चाहिए।

प्रदूषण

समय के साथ-साथ मनुष्य भी निरंतर प्रगति कर रहा है। उसके विकास की दर इतनी अधिक है कि वह अपने आस-पास हो रहे बदलावों को भी नहीं देख पा रहा है। बदलाव यदि सकारात्मक हो, तो जीवन को सुखद बना देता है। परन्तु यदि बदलाव नकारात्मक हो, तो वह जीवन को दुखदायी बना देता है। हम प्रगति तो कर रहे हैं परन्तु इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। हमने इसे प्रदूषण से नष्ट कर दिया है।

पर्यावरण दो शब्दों 'परि' और 'आवरण' शब्दों से मिलकर बना है। परि का यदि अर्थ लें तो वह हैं 'चारों ओर' और आवरण का अर्थ है 'ढका हुआ' अर्थात् जो हमारे चारों ओर फैलकर हमें ढके हुए व्याप्त है। हमारे शहरों में विकास की दर सबसे अधिक है परन्तु प्रदूषण करने में भी वे नम्बर एक पर हैं। इस प्रदूषण की बीमारी ने हमारे जीवनदायी पर्यावरण को दूषित करना आरंभ कर दिया है।

वैज्ञानिकों द्वारा इस विषय में गहन चिन्तन-मनन और खोजें की गई हैं कि प्रदूषण क्यों होता है? उनकी शोधों के अनुसार वाहनों और फैक्टरियों से लगातार निकलने वाला धुआँ और नदियों में बहाए जाने वाले अपशिष्ट एवम विषैले पदार्थ, जनसंख्या की वृद्धि, वनों की हो रही कटाई से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण एक ही प्रकार का नहीं है, आज यह अनेक रूपों में विद्यमान है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इसके मुख्य रूप हैं।

मनुष्य ने यातायात के लिए वाहनों का आविष्कार किया और आवासों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त मकानों का निर्माण किया। वाहनों से निकलने वाले धुएँ ने पर्यावरण को दूषित करना आरंभ कर दिया। मकानों के निर्माण के लिए मनुष्य ने वनों को काटना आरंभ कर दिया। मनुष्य ने अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डालकर उनके जल को प्रदूषित कर दिया।

उन्होंने फैक्टरियों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों और कचरे से भूमि को प्रदूषित कर दिया। हर तरह के प्रदूषण के लिए मनुष्य ही हर बार मुख्य दोषी पाया जाता है। वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण से मनुष्य में साँस संबंधी तथा हृदय संबंधी बीमारियाँ अधिक पाई जाने लगी हैं। जल प्रदूषण से जहाँ मनुष्य स्वयं संकट में पड़ा है, वहीं उसने वन्यप्राणी और जलीय जीवों के लिए भी संकट पैदा कर दिया है। अनेक प्रकार की समस्याएँ इस प्रदूषण के कारण मुँह फाड़े खड़ी हैं।

आज हमने विकास के सभी मापदंड पार कर दिए हैं। चाँद तक हम अपने कदमों की छाप छोड़ आए हैं। नदियों पर सेतु बना लिए हैं। समुद्र का सीना चीर उसको पार करने में सफलता पा ली है। आग को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। परन्तु इन सबका क्या लाभ। हमने इन सबमें अपने जीवनदायी तत्वों को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है।

हमें चाहिए अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें। वनों को काटने से रोकें। जनसंख्या में हो रही वृद्धि पर काबू पाएं। ऐसी वस्तुओं के प्रयोग को रोकें जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं। नदियों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। वाहनों के प्रयोग को कम करें। हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये कदम उठाए जाने अति आवश्यक हैं तभी हम सुंदर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार और हम

भ्रष्टाचार वह बीमारी है, जो देश और समाज को धीरे-धीरे खोखला बना देती है। भ्रष्टाचार शब्द का जन्म 'भ्रष्ट' और 'आचार' शब्द से मिलकर हुआ है, जिसका अर्थ है दूषित या विकृत व्यवहार (आचार) करने वाले अर्थात् ऐसे लोग जो दूषित व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग समाज और देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देश, समाज और इंसानियत से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। स्वयं की अनावश्यक आवश्यकताओं और लालच को पूरा करने के लिए ये पूरी इंसानियत को ही धूल में मिला रहे हैं। पैसों और स्वार्थों से युक्त ये लोग सभी के जीवन पर विषधर सांप की तरह फन फैलाए खड़े हैं।

हमारे देश में बहुत-सी समस्याएँ मुँह फाड़े खड़ी हैं परन्तु भ्रष्टाचार इन सभी समस्याओं में सबसे आगे खड़ी है। भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार इस बार सूची में भारत का 84 वां स्थान है। यह बहुत शर्म की बात है कि भारत भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल है। यह चिंताजनक भी है कि

भारत का नाम इस सूची में है। यह तो सभी जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार हो रहा है। परन्तु उसका स्तर इतना बढ़ गया है कि उसकी आँच अन्य देशों तक पहुँचने लगी है।

भारत के अंदर भ्रष्टाचार का फैलाव दिन-भर-दिन बढ़ रहा है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं भ्रष्टाचार का बोल-बाला दिखाई दे जाएगा। भारत के सरकारी व गैर-सरकारी विभाग इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। आप यहाँ से अपना कोई भी काम करवाना चाहते हैं, बिना रिश्त खिलाए काम करवाना संभव नहीं है। मंत्री से लेकर संतरी तक को आपको अपनी फाइल बढ़वाने के लिए पैसे का उपहार चढ़ाना ही पड़ेगा।

स्कूल व कॉलेज भी इस भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं। बस इनके तरीके दूसरे हैं। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा सरकारी स्कूलों व छोटे कॉलेजों तक सीमित होकर रह गई है। नामी स्कूलों में दाखिला कराना हो, तो डोनेशन के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है। बैंक जो की हर देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ हैं, वे भी भ्रष्टाचार के इस रोग से पीड़ित हैं।

आप किसी प्रकार के लोन के लिए आवेदन करें पर बिना किसी परेशानी के फाइल निकल जाए, यह संभव नहीं हो सकता। देश की आंतरिक सुरक्षा का भार हमारे पुलिस विभाग पर होता है परन्तु आए दिन ये समाचार आते-रहते हैं कि आमुक पुलिस अफसर ने रिश्त लेकर एक गुनाहगार को छोड़ दिया। भारत को यह भ्रष्टाचार खोखला बना रहा है।

सबसे पहले आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति के मनोबल को ऊँचा उठाना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने को इस भ्रष्टाचार से बाहर निकालना होगा। यही नहीं शिक्षा में कुछ ऐसा अनिवार्य अंश जोड़ा जाए, जिससे हमारी नई पीढ़ी प्राचीन संस्कृति तथा नैतिक प्रतिमानों को पहचाने। वे इसे संस्कार स्वरूप लेकर स्वयं के स्वरूप को विकसित करें।

हमें न्यायिक व्यवस्था को कठोर बनाना होगा तथा सामान्य जन को आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध करानी होगी। इसी आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा तभी इस स्थिति में कुछ सुधार की अपेक्षा की जा सकती है।

समाज में यदि एक भ्रष्ट व्यक्ति विद्यमान है, तो हमें भी उसके साथ भ्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भी स्थिति से विवश होकर स्वयं भी भ्रष्ट हो जाते हैं, तो हम ऐसी श्रृंखला की रचना करते हैं, जिसका कभी अंत नहीं होगा। यह श्रृंखला दिन-भर-दिन बढ़ती ही चली जाएगी। इस भ्रष्टाचार की समस्या को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। नहीं तो यह ऐसा पेड़ बनकर उभरेगा, जिसकी छाया हमारे साथ हमारे देश को भी निगल जाएगी। हम सब मिलकर यह प्रण करें कि भ्रष्टाचार को मिटा कर रहेंगे, न स्वयं रिश्त लेगे, न दूसरों को रिश्त लेने देंगे।

मुझे प्रभावित करने वाला व्यक्ति: महात्मा गाँधी

भारत की आज़ादी में गांधीजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी दी हुई आज़ादी की चिंगारी ने पूरे भारत की तस्वीर ही बदलकर रख दी थी। उनके बहुमूल्य आदर्शों ने भारत का इतिहास बदलकर रख दिया था। पहले हिंसा को अपनी बात मनवाने का उत्तम साधन समझा जाता था। हर कोई हथियार उठाना उचित मानता था। कई क्रांतिकारियों ने इसका प्रयोग भी किया। परन्तु गाँधीजी के आदर्शों और सिद्धान्तों ने

समूची विचारधारा को पलटकर रख दिया। अंग्रेजों को इन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग के द्वारा भारत से निकाल बाहर किया। इनके आदर्शों और सिद्धांतों ने मुझे सदा प्रभावित किया है।

महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में 2 अक्टूबर, 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। यह राजकोट के दीवान के पद पर कार्यरत थे। गांधीजी की माताजी का नाम पुतली बाई था। वह बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। गांधीजी पर अपनी माताजी का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। गांधीजी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।

इनका विवाह अल्पायु में कस्तूरबा गांधी जी कर दिया गया था। इनकी आरम्भिक शिक्षा भारत में हुई थी। परन्तु बैरिस्टरी की डिग्री इन्होंने इंग्लैण्ड से प्राप्त की थी। भारत आकर इन्होंने मुंबई को अपनी कर्मस्थली बनाया।

परन्तु अपने सिद्धांतों के कारण वह इस कार्य को ज्यादा समय तक नहीं कर पाए। तंग आकर इन्होंने एक फर्म के साथ अनुबंध करके दक्षिण अफ्रीका में नेटाल जाना स्वीकार किया।

यह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक देश था। वहाँ पर गांधीजी को अंग्रेजों द्वारा रंग-भेदभाव की नीति का शिकार बनना पड़ा। इसका गांधीजी पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने सत्याग्रह की पहली चिंगारी सुलगाई। 1915 में गांधीजी अपने देश भारत लौट आए। इन्होंने देश आकर भेदभाव का विरोध करना आरंभ कर दिया।

जरनल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। इससे गांधीजी को गहरा आघात लगा। फिर तो क्या था, इन्होंने इसके विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसके पश्चात 1930 में नमक सत्याग्रह और अन्त में 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा पूरे देश में प्रसारित कर दिया।

ब्रिटिश सरकार ने इन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश भी की परन्तु सफल नहीं हो पाई। इन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। परन्तु इन्होंने अहिंसा का ऐसा मंत्र फूँका कि बिना खून बहाए अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ दिया गया।

15 अगस्त, सन 1947 को देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद देश के टुकड़े करने के लिए दबाव बनना आरंभ हो गया। देश में चारों तरफ़ सांप्रदायिक दंगे उठ खड़े हुए। गांधीजी अनशन के माध्यम से इसे शांत करने का प्रयास भी किया। परन्तु भारत के विभाजन को वह रोक नहीं पाए।

कई हिंदू कट्टरपंथियों ने गांधीजी को इसका मुख्य कारण मानकर इनके विरुद्ध षड्यंत्र किया और नथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी। 30 जनवरी, 1948 को वह इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए।

आज राजघाट में इनकी समाधि विद्यमान है। गांधीजी ने अपने सिद्धान्तों से एक नई विचारधारा को विकसित किया। इनकी कद-काठी में इतना आकर्षण नहीं था, जितना आकर्षण इनके मूल्यों में था। इनके मूल्य जीवन में यह सीख देते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, जिससे हम सबके लिए आदर्श बनकर उभरें। मैं सदा उनके जीवन से सीख लेता रहूँगा।

मेरा प्रिय खेल क्रिकेट

मनुष्य के जीवन में आरंभ से ही खेलों का महत्व रहा है। खेलों के बिना उसका जीवन अधूरा है। प्राचीन समय में तो उसके मनोरंजन का साधन खेल ही हुआ करते थे। आज के युग में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं परन्तु फिर भी खेलों का महत्व वैसे का वैसे ही बना हुआ है। खेलों से जहाँ स्वास्थ्य बढ़ता है, वहीं मनुष्य का मनोरंजन भी होता है। आज खेलों के द्वारा मनुष्य उज्ज्वल भविष्य भी पा रहे हैं। खेलों को अपनाने से खिलाड़ी देश-विदेश में यश और धन दोनों कमा रहे हैं।

मनुष्य को चाहिए कि खेलों में भाग लेता रहे। इससे शरीर में रक्त-संचार सही रहता है। स्फूर्ति तथा उत्साह भी बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए खेल एक उत्तम औषधि के समान है। पढ़ाई करने के बाद खेलने से मन को नई शक्ति प्राप्त होती है। लगातार पढ़ने से उत्पन्न झूझलाहट भी समाप्त होती है। मुझे भी खेलना बहुत प्रिय है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है।

भारत का आज सर्वप्रिय खेल क्रिकेट है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल-प्रतियोगिताओं में इसे अच्छी पहचान प्राप्त है। इस खेल के कारण बहुत से देशों के बीच जहाँ अच्छी प्रतिस्पर्धा होती है, वहीं उनमें पारस्परिक वैमनस्य भी दूर होता है। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान भी प्राप्त होती है। इन सभी कारणों से क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। क्रिकेट खेलने के लिए दो टीमों की आवश्यकता होती है।

इन दोनों टीमों के मध्य प्रतियोगिता होती है। एक विशाल मैदान के मध्य बाईस गज लंबी पिच होती है। इसके दोनों किनारे पर तीन-तीन विकेटें जमीन पर गाड़ी जाती हैं। दोनों टीमों में ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ी होते हैं।

इस खेल में एक टीम के दो खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और दूसरी टीम के सारे खिलाड़ी मैदान में चारों ओर स्थित होते हैं। विरोधी टीम का एक खिलाड़ी गेंद फेंकता है और खेलने वाला खिलाड़ी बल्ले से गेंद को दूर फेंकता है। खिलाड़ी जितनी दूर गेंद को फेंकता है, उसे चौक्का और छक्का कहते हैं। यदि चौक्का और छक्का नहीं लगता है, तो मैदान में स्थित दोनों खिलाड़ियों को भागकर एक-दूसरे से अपना स्थान बदलना होता है।

वे जितनी बार अपना स्थान बदलते हैं, उतने ही रन माने जाते हैं। दस खिलाड़ियों को दिए गए ओवरों तक रन बनाने पड़ते हैं। सभी खिलाड़ियों के आउट हो जाने पर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलता है।

विरोधी टीम को पहली टीम के द्वारा बनाए गए रनों से एक रन अधिक बनाना पड़ता है तभी वह विजय घोषित किया जाता है। यदि उनके रन बनाने से पहले सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो पहली टीम विजयी मानी जाती है।

क्रिकेट भारत में अत्यधिक लोकप्रिय खेल है। भारत में इसकी दीवानगी इस कदर है कि लोग अपने कार्यालयों से अवकाश लेकर घरों में मैच देखने के लिए बैठे रहते हैं। यदि मैच किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हों, तो अपने मोबाइल फोन या रेडियो से इसका हाल जानते रहते हैं। खेल का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। यह पहले-पहल इंग्लैंड में खेला जाता था। तब इसका स्वरूप इस तरह नहीं था। इसने ये

स्वरूप वर्षों की मेहनत से पाया है। आरंभ में क्रिकेट में पाँच दिवसीय टेस्ट क्रिकेट हुआ करते थे। परन्तु जब आयोजकों को इस बात का आभास हुआ कि पाँच दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला दर्शकों में उपजे रोमांच को समाप्त कर देती है, तो उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला को आरम्भ किया। एक दिवसीय क्रिकेट में 50 ओवर खेले जाते थे।

दर्शकों में यह क्रिकेट खासा लोकप्रिय रहा पर बदलते समय के साथ और लोगों में समय की कमी के कारण 50-50 ओवर का एक दिवसीय मैच भी लम्बा लगने लगा। तब समय की माँग के अनुसार आयोजकों ने नया प्रयोग किया और इसमें ओवरों की संख्या को कम कर 20 ओवर तक खेलने का फैसला लिया। इसकी लोकप्रियता का आज यह आलम है कि आज यह सबकी ज़बान पर है।

इस क्रिकेट की दीवानगी इस कदर फैली की 20-20 मैचों के आरम्भ होते ही, सब अपना सारा काम-काज छोड़कर टी.वी. के सम्मुख बैठ जाते हैं। यह मैच क्योंकि 20-20 ओवरों में ही समाप्त हो जाता है, तो इसे देखना और भी रोमांचकारी हो जाता है।

हमारे विद्यालय में 20-20 क्रिकेट-मैचों का आयोजन हुआ था, जिसमें कई विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया था। हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम में मैंने भी भाग लिया था। ये मैच बड़े रोमांचकारी थे। हमारी टीम ने 4 विकेटों से जीतकर सबको हैरत में डाल दिया था। मैंने इसमें ज़ोरदार प्रदर्शन किया था। सभी ने मेरी बहुत प्रशंसा की थी।

मेरी प्रिय पुस्तक

'पुस्तकें' हमारे जीवन की मूल्यवान धरोहर हैं। ये हमें जीवन के मार्ग पर चलने की दिशा प्रदान करती हैं। ये एक अच्छे मित्र की भाँति सदा हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इनके बिना एक मनुष्य कभी शिक्षित नहीं बन सकता। इनका साथ हमारे जीवन में बचपन से ही आरंभ हो जाता है और सारी उम्र तक बना रहता है। हम जब तक चाहें इन्हें अपना साथी बनाकर रख सकते हैं। ये निस्वार्थभाव से हमारे साथ रहकर हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं।

मुझे भी पुस्तकों से बहुत प्यार है। मैंने अपने जीवनकाल में अनगिनत पुस्तकें पढ़ी हैं। परन्तु जिस पुस्तक ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, वह कबीर ग्रंथावली है। यह पुस्तक मेरे दादाजी ने मुझे दी थी। जब इस ग्रंथ को मैंने सर्वप्रथम पढ़ना आरंभ किया, तो मेरे लिए इसका कोई खास महत्त्व नहीं था। मेरे लिए यह मजबूरी में पढ़ने जैसा था।

परन्तु धीरे-धीरे मैंने पढ़ना आरंभ किया। जैसे-जैसे मैं इसे पढ़ता गया, मेरी रूचि इसमें बढ़ने लगी। इसे पढ़कर मुझे बहुत-सी बातें पता चली, उदाहरण के लिए मैंने इसमें जीवन के सत्य को बड़े समीप से महसूस किया। कबीर का प्रभु से प्रेम का भी बहुत सुंदर रूप देखने को मिलता है। तभी वे कहते हैं-

लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल।

लाली देखन मैं गयी, मैं भी हो गयी लाल।

कबीरभगवान को मूर्तियों या जंगलों में नहीं तलाशते बल्कि भगवान को अपने हृदय में तलाशते हैं। स्वयं को प्रभु प्रेम में डूबा हुआ पाते हैं। उनका भगवान घट-घट यानि मंदिरों में निवास नहीं करता। वे संसार के प्रत्येक हृदय में निवास करता है। उनकी इस पुस्तकमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण मिलता है, जो आज भी प्रासंगिक है।

कबीर कालीन समाज में चारों तरफ छुआछूत, पूजा-विधि, नमाज़, व्रत आदि आडम्बर व्याप्त थे, जिनका उन्होंने विरोध किया। हिंदु-मुस्लिम के बीच में दीवार काफी ऊँची थी। कबीर ने अपने उपदेशों के माध्यम से उनके बीच की दूरियों को घटाने की कोशिश की। इससे दोनों संप्रदायों के परस्पर मिलन में सुविधा हुई। कबीर ने अपने ग्रंथ के माध्यम से लोगों में सत्य, पवित्रता, सदाचार, भक्ति आदि गुणों का महत्व बताते हुए उन्हें आत्मसात करने की सलाह दी।

ऐसा करके मनुष्य एक सात्विक जीवनयापन कर सकता था। उन्होंने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, नमाज़ व रोज़े का खण्डन किया। उनके अनुसार भगवान को प्राप्त करने के ये साधन सही नहीं हैं। वे कहते हैं, "यदि पत्थर की पूजा करके आप भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो आज इस संसार में सबको ईश्वर प्राप्त हो जाते"। मस्जिद में खड़े होकर खुदा-खुदा चिल्लाकर खुदा मिल जाता, तो वे शायद सभी ऊँची-ऊँची मीनारों पर जाकर चिल्लाते। अपनी बात को सिद्ध करते हुए, उन्होंने कहा है—

पाहन पूजे हरि मिलैं, तो मैं पूजूं पहार।

ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार।

अर्थात् यदि पत्थर को पूजकर मुझे भगवान मिलते, तो मैं पहाड़ को पूजता। लेकिन इस पत्थर से बनी वो चक्की अच्छी है, जिसके चलने से संसार का पेट भरता है। कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे परन्तु उनके दोहों और साखियों में ज्ञान की गहरी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। उनकी भाषा सरल व समस्त भाषाओं का मिश्रित रूप है इसलिए जन-जन की भाषा बन गई। कबीर की भाषा विभिन्न भाषाओं के मिश्रण के कारण सुधक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कहलाई।

उनके ग्रंथ की इन्हीं खूबियों ने इसे मेरा प्रिय ग्रंथ (पुस्तक) बना दिया। विश्व में भी कबीर के इन्हीं गुणों के कारण उनके ग्रंथ को सम्मान प्राप्त हुआ है। कबीर ग्रंथावली की श्रेष्ठता के कारण ही भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में आज भी जीवित है।

मेरे जीवन का लक्ष्य

चल कुछ इस तरह,

तेरी पहचान तेरे कदमों के निशान से बने,

बढ़ कुछ इस तरह

तेरे कर्म तेरे लक्ष्य की आहुति बने।

'लक्ष्य' जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जिस तरह अर्जुन ने मछली की आँख को लक्ष्य बनाकर, उसे तीर से भेद डाला था। उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि स्वयं के जीवन में भी अपने लक्ष्य का निर्धारण करे। बिना लक्ष्य के जीवनयापन करना पशु की भाँति जीवन जीने जैसा है। जो लोग जीवन में लक्ष्य बनाकर चलते हैं, वो समाज में मिसाल कायम करते हैं। लक्ष्य बनाकर चलना सफलता की कुंजी है।

प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करना पड़ता है। वह अपने लक्ष्य का निर्धारण अपनी अभिलाषा और अपने सपने के आधार पर करता है। मैंने भी अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है। बचपन से मेरा सपना था कि अध्यापक बनकर गरीबों की शिक्षा हेतु हर संभव कोशिश करूँ।

इस व्यवसाय को चुनना मेरी आर्थिक ज़रूरत को पूरा करना नहीं है अपितु अपने समाज में फैली अशिक्षा को जड़ से उखाड़ फेंकना है। हमारे देश में 60 प्रतिशत आबादी है, जो धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है।

शिक्षा के अभाव में ये लोग छोटे-मोटे कार्यों को करके अपनी जीविका चलाते हैं, जिससे उनका जीवन अनेक कठिनाईयों से भरा रहता है। उनका उचित विकास नहीं हो पाता। धन के अभाव में उपजी उत्कंठा उनको गलत मार्ग में धकेलने का कारण बनती है, जो हमारे लिए, समाज और देश के विकास के लिए हानिकारक है।

इस लक्ष्य को पाना सहज नहीं है। मैं दूसरों को शिक्षित कर पाऊँ, इसके लिए मुझे स्वयं हर विषय में परिश्रम करना होगा। क्योंकि जब मैं ही किसी विषय में कमजोर होऊँगा तो अन्य किसी को कैसे उस विषय में समझ पाऊँगा। मेरा प्रथम लक्ष्य बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना होगा।

इसके लिए मुझे सर्वप्रथम 12वीं में 50% से ऊपर अंक प्राप्त करना होगा। तदुपश्चात् मुझे बी.एड. में प्रवेश के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा तभी मुझे बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा।

इसके लिए मुझे रात दिन अथक परिश्रम करना पड़ेगा। यदि पूरी लगन के साथ परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है क्योंकि परिश्रम ही जीवन की सफलता की कुंजी है। यही विश्वास है, जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा।

शिक्षक बनकर मैं उन सब शिक्षकों के लिए एक मिसाल बनने की कोशिश करूँगा जो शिक्षा को मात्र व्यवसाय मानकर बच्चों को पढ़ाकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लेते हैं। वो उसी पुरानी घिसी-पिटी शिक्षा व्यवस्था को ही अपना लक्ष्य मान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनका मकसद उनको शिक्षित करना नहीं होता बल्कि अपना कार्य करना होता है।

जिसकी पूर्ति वह पढ़ाकर करते हैं। वो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं परन्तु उस समय का उपयोग गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षित करने में नहीं लगाते। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं समाज में शिक्षा का प्रयास कर सकूँ व एक अच्छा शिक्षक बनकर विद्यार्थी के जीवन को सही दिशा दे सकूँ। इस लक्ष्य को पाने के लिए मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएँ आएँ, ये बाधाएँ मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकेंगे।

यदि मैं प्रधानाचार्य होता

मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को रोज़ देखता हूँ। उनको देखकर मेरे मन में यही भावना उठती है कि काश मैं भी प्रधानाचार्य होता। प्रधानाचार्य ऐसा पद है, जिसका अपना ही महत्व है। विद्यालय ईंटों से बने भवन का नाम नहीं है, बगीचों, खेल के मैदान या फिर कैटीन को भी विद्यालय नहीं कहा जा सकता है। विद्यालय बनाता है, विद्यार्थियों और शिक्षकों से।

इनके आपसी संयोग को ही विद्यालय कहा जाता है। प्रधानाचार्य इस कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों का ही विद्यालय हो, तो वहाँ पर अनुशासन पुरी तरह नहीं रह पाएगा क्योंकि अनुशासन दोनों के लिए आवश्यक है। वह जहाँ विद्यार्थियों के लिए नियम बनाता है, तो वहीं शिक्षकों के लिए भी नियम बनाता है। वह उनसे इन नियमों का कड़ाई से भी पालन भी करवाता है। विद्यालय के रखरखाव की ज़िम्मेदारी उसके कंधो पर होती है।

मेरे अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के समय पर विद्यार्थियों की सहमति पर भी विचार करना आवश्यक होना चाहिए क्योंकि शिक्षक उनके लिए ही नियुक्त किया जाता है। यदि मैं प्रधानाचार्य होता, तो इस प्रकार की व्यवस्था अपने विद्यालय में अवश्य करवाता। मैं शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करता कि वह विद्यार्थियों को संतुष्ट कर सकें तभी उन्हें विद्यालय में पढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। इस तरह से विद्यार्थियों को अपने मनोवांछित शिक्षक मिल जाता।

विद्यालय में स्वच्छता, अनुशासन और विद्यार्थियों की सभी प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ में विद्यार्थियों पर ही रखता। इससे होता ये विद्यार्थी अपने कर्तव्यों के प्रति ज़िम्मेदार होते और विद्यालय की समस्याओं से भी स्वयं अवगत होते। विद्यार्थियों की यह शिकायत भी पूरी तरह से समाप्त हो जाती कि शिक्षकों द्वारा हम पर अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्ती की जाती है। उनका ही कोई साथी इस कार्य की देखभाल करता है, तो वे भी पूरी निष्ठा से उसकी बात को मानते। इससे मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अंसतोष को समाप्त करने का प्रयास कर पाता।

मैं विद्यालय में शिक्षकों को इस बात के लिए कड़ाई से निर्देश दूंगा कि वे विद्यार्थियों के साथ सख्त रवैया बिल्कुल न अपनाए। शिक्षा देते हुए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शिक्षा उनके लिए उबाऊ और बोझ न हों। वे उन्हें जितना हो सके खुले वातावरण में पढ़ाए। बंद कमरों में एकाग्रता तो बढ़ती है परन्तु धीरे-धीरे बच्चे उस वातावरण से तंग होने लगते हैं।

विद्यालय में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन अवश्य करवाता। इसमें शिक्षकों की भी समान रूप से भागीदारी अवश्य करवाता। इस तरह दोनों के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास करता। इस तरह के कार्यक्रम और प्रतियोगिता विद्यार्थियों के उत्साह को बढ़ाने और उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से भी की जाती।

इससे उनमें नई स्फूर्ति उत्पन्न होती और पढ़ाई में भी ध्यान लगता। विद्यालय में एक सुझाव पेटिका लगवाता, जिससे विद्यालय के विकास के लिए विद्यार्थियों से आवश्यक सुझाव प्राप्त करता और उनके विद्यालय को उनके अच्छे सुझावों द्वारा चला पाता।

विद्यार्थियों के विकास के लिए हर वह संभव कोशिश करता, जो उन्हें जीवन पथ पर बढ़ाए। प्रधानाचार्य पद का मान रखते हुए बच्चों के साथ समय व्यतीत करता। अपने विद्यालय को विद्यार्थियों का मनपसंद विद्यालय बना देता।

राष्ट्रीय ध्वज

'तिरंगा' भारत के मान-सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक चिह्न है। इसके सम्मान की रक्षा के लिए सभी भारतीय अपने प्राणों का बलिदान सहर्षता से दे देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के तले सारा भारत एकता के सूत्र में बँधकर विकास कर रहा है।

हमारे राष्ट्रीय ध्वज की एक लम्बी गाथा है। प्रथम भारतीय ध्वज 1904 को भागिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियाँ थीं। सबसे ऊपर 12 कमल व बीच में वन्दे मातरम् लिखा हुआ था। दोनों कोनों में सूरज व चाँद बने हुए थे। दूसरा ध्वज मैडम कामा द्वारा 1907 में बर्लिन में हुए अधिवेशन में फहराया गया। यह ध्वज केसरिया, पीले व हरे रंगों से बना हुआ था।

सर्वप्रथम केसरी रंग की पट्टी थी। उस पर सप्तऋषि के सात तारे बने थे। बीच में वन्दे मातरम् तथा नीचे सूरज चाँद बने थे। तीसरा ध्वज डॉ. एनी बेसेन्ट द्वारा बनाया गया था। यह ध्वज ब्रिटेन के ध्वज से मिलता जुलता था। 1921 में आंध्रप्रदेश के पिंगली वैकेया नाम के युवक ने गाँधीजी को ध्वज बनाकर दिया था। उसमें प्रथम पर सफेद, बीच में हरा व उसके अन्त में लाल रंग था।

पूरे ध्वज पर चरखे का चित्र बना था। 1931 का वर्ष भारत में तिरंगे के इतिहास के लिए यादगार वर्ष था। इस वर्ष तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सबसे प्रसन्नता की बात यह थी कि सबकी सर्वसम्मति से इसे मान्यता प्राप्त हो भी गई। यह ध्वज आज के ध्वज से बहुत मिलता-जुलता था। बस अशोक चक्र के स्थान पर इसमें गाँधीजी का चरखा बना हुआ था। आज़ादी के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया।

राष्ट्रीय ध्वज में हर चीज़ का अपना महत्व है। इस ध्वज की लम्बाई व चौड़ाई 2 के अनुपात 3 हैं। सबसे पहले इसमें केसरिया रंग का प्रयोग किया जाता है। यह रंग हमारे शहीदों व देशभक्तों के बलिदान और त्याग का प्रतीक है। इसके दूसरे भाग में सफेद रंग है।

यह रंग शांति और सत्य को दर्शाता है। सबसे निचली हरी पट्टी हमारी भूमि की उर्वरता, हमारे देश की वृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद पट्टी के मध्य में स्थित चक्र गतिशीलता का सूचक है। इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। चक्र का रंग गहरा नीला है। यह चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है।

राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े पर ही बनाया जाता है। हमारे ध्वज का हर रंग देश की विशेषता और एकता को दर्शाता है। हमारे देश के महत्वपूर्ण दिवसों पर इसे फहराया जाता है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार; 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तो इसका विशेष महत्व है।

तिरंगे को देखते ही हमारे सर इसके सम्मान में झुक जाते हैं। इसकी छवि हमारे हृदय और आँखों पर छाई रहती है। हर भारतीय को चाहिए कि इसका आदर-सम्मान करें। भूल से भी इसका अपमान न करें। तिरंगा

हर भारतीय की पहचान है। यह भारत की शान है। यह हवा में लहराता हुआ स्वतंत्रता संग्राम की याद ताज़ा कर भारतीयों को गर्व से खड़े होने का संदेश देता है। यह तिरंगा मेरी जान है।

वर्षा ऋतु

भारतभूमि इसकी बात ही निराली है। हमारी इस भूमि की अनेक विशेषताएँ हैं। प्रकृति ने भी इस पर अपनी अनुकंपा बरसाई है। यहाँ पर ऋतुएँ के जितने रूप देखने को मिलते हैं, वह शायद ही कहीं ओर देखने को मिले। भारत में मुख्यतः छः ऋतुएँ वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर देखने को मिलती हैं। वर्षा ऋतु का काल श्रावण और भाद्र दो महीने का होता है। हमारे देश के लिए यह ऋतु विशेष महत्व रखती है। इस ऋतु में जल की वर्षा होती है। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अतः इस ऋतु में ही हमारी कृषि आश्रित रहती है। वर्षा के जल से खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं और किसानों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है।

वर्षा ऋतु का आगमन ग्रीष्म ऋतु के बाद होता है। पूरा भारत जेठ की गर्मी की तपन से त्रस्त रहता है।

लू के थपेड़े सभी प्राणियों को जलाए रखते हैं। पूरी धरती जलती हुई प्रतीत होती है। बिहारी जी ने जेठ की गरमी की व्याकुलता को बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है-

बैठि रही अति सघन बन, पैठि सदन-तन माँह।

देखि दुपहरी जेठ की छाँहों चाहति छाँह।।

वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही व्याप्त गर्मी कहीं दूर भाग जाती है। गर्मी से आहत सभी प्राणियों के लिए यह ऋतु बड़ी सुखदायी होती है। आकाश में छाई मेघमालाएँ हृदय को आनंदित कर देती हैं। अपने इसी गुण के कारण यह ऋतुओं की रानी कही जाती है। कवियों ने इस ऋतु का वर्णन अपने काव्यों में बड़े उत्साह से किया है। वर्षा की सुंदरता पर एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन करते हुए कहते हैं-

बारिश की बूंदें लाती है

नव जीवन नव रंग सलोना

हरे-भरे उपवन संग नाचें

शीतल मंद पवन, मन कोना

वर्षा का महत्व किसानों के लिए सबसे अधिक होता है। धान की बुआई के लिए यह सबसे उचित समय माना जाता है। इस काल में कृषि संबंधी सभी कार्य आरंभ हो जाते हैं। ग्रामीण जीवन में जैसे नवीनता आ जाती है। चारों तरफ़ प्रसन्नता की लहर उठ पढ़ती है। वर्षा इनके लिए किसी देवी से कम नहीं मानी जाती है। यदि वर्षा न हो तो इनका जीवन तो अस्त-व्यस्त हो जाए। वर्षा नहीं होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे अकाल संकट आ खड़ा होता है। अतः किसानों के प्राण इस ऋतु में बसते हैं।

वर्षा ऋतु में चारों ओर वर्षा का सुंदर रूप दिखाई देता है। धरती जल में मग्न दिखाई देती है। ताबाब, नदियाँ आदि जल से लबालब भर जाते हैं। बच्चों को तो ये ऋतु बहुत प्यारी लगती है। पानी में वह उछलते-कूदते घरों से निकल पड़ते हैं। भरे पानी में कागज़ों की नाव बनाकर वे इसका आनंद उठाते हैं। मनुष्य के साथ-साथ सभी प्राणी भी इसका आनंद उठाते हैं। मोर नाचने लगते हैं। बागों में कोयलों के कूकने की आवाज़ वातावरण में मिश्री घोल देती है।

वर्षा जहाँ एक ओर जीवनदायनी ऋतु है वहीं यह रौद्र रूप धारण कर ले तो प्रलयकारी भी हो जाती है। अत्यधिक वर्षा से नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। इस कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इस जान और माल को बहुत अधिक नुकसान होता है। शहरों में इस समय अधिकतर पानी भर जाता है। परन्तु इन सबके बाद भी इसका आनंद कम नहीं होता।

विज्ञान और धर्म

प्राचीनकाल में धर्म का संबंध मानव मन की सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक चेतनाओं से जुड़ा था। उसमें परलोक सुधार की बात कही जाती थी परन्तु जब कालांतर में जातियों, वर्गों, संप्रदायों का निर्माण होने लगा, तो धर्म का स्वरूप भी संकुचित होता गया। आज धर्म का अर्थ केवल सीमित तथा सांप्रदायिकता है। छुआछूत, जातिवाद तथा वर्ग विद्वेष पर आधारित आज का धर्म सच्चे अर्थों में धर्म नहीं कहा जा सकता।

धर्म के नाम पर आज भी रक्तपात होता है, उच्चता या निम्नता के आधार पर वर्ग विद्वेष का विष फैलाया जाता है तथा मानव को मानव का शत्रु बनाया जाता है। आज धर्म मार्गदर्शन करने के स्थान पर पथभ्रष्ट करवाने का साधन मात्र बनकर रह गया है।

विद्वानों के अनुसार सच्चे धर्म की परिभाषा तो मानवीयता है। सहिष्णुता, समानता, भाईचारा, परोपकार तथा मानव-मात्र को अपने समान समझना ही वास्तव में धर्म है। धर्म से विहीन व्यक्ति, तो पशु के समान होता है। धर्म जीवन का मुख्य आधार है। यह हमें सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देता है। आज का मानव बौद्धिकता के एक ऐसे युग से गुज़र रहा है, जिसमें कर्मकांडों की लौह श्रृंखला टूट गई है।

स्वर्ग तथा नरक की कल्पनाएँ छिन्न-भिन्न हो गई हैं तथा मानव अंधविश्वासों और रूढ़ियों के कारागार से मुक्त हो गया है। आज मनुष्य के जीवन में धर्म तथा विज्ञान का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। मानव एक ओर श्रद्धावश धर्म को भी मानता है परन्तु दूसरी ओर वह पूर्णतया बौद्धिक भी है। उसके सोचने का ढंग वैज्ञानिक हो गया है।

विज्ञान उसे यह सोचने पर विवश कर देता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य? यह विचारधारा इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के जीवन में मात्र सड़ी-गली परंपराओं और रूढ़ियों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है।

विज्ञान ने मनुष्य को जो विचारधारा दी है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। विज्ञान ने जिन अंधविश्वासों का खंडन किया था, उसके चलते कई लोग उसके विरोधी हो गए हैं। उनके अनुसार विज्ञान धर्म का विरोधी है और इन दोनों का मिलना संभव नहीं है। विज्ञान यह मानता है कि किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक उसको सत्य की कसौटी पर कस नहीं लिया जाए। यहीं से विज्ञान और धर्म में टकराव

देखने को मिलता है। परन्तु इस प्रकार का टकराव उन लोगों की विचारधारा का प्रतीक हैं, जो वर्षों से चली आ रही झूठी मान्यताओं और परंपराओं को संकीर्ण मानसिकता के कारण छोड़ते नहीं हैं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। अशिक्षा उनके विचारों में संकीर्णता को बनाए रखती है।

कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा भी उनकी संकीर्णता को फलने-फूलने दिया जाता है। विज्ञान ईश्वर के स्वरूप को नकारता नहीं है, बस लोगों में उसके स्वरूप को लेकर बनी भ्रांतियों का खण्डन करता है। विज्ञान किसी मान्यता के अंदर छुपे सत्य को तलाशता है। उसकी यही जिज्ञासा कई लोगों की धार्मिक भावना को आहत कर देती है। लोग अन्यास ही उसे धर्म का विरोधी मान बैठते हैं।

ये दोनों ही अलग प्रकार के विषय हैं, इनसे जुड़ी हुई विभिन्न तरह की विचारधाराएँ हैं। आज के आधुनिक युग में विज्ञान और धर्म दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान जीवन की कठिनाईयों का हल निकालता है, तो धर्म उसके मन के विकारों से छुटकारा दिलाता है। विज्ञान प्रश्नों का हल देता है और धर्म जीवन में सच्चाई से चलने की प्रेरणा।

यदि सभी लोग विज्ञान और धर्म को एक-दूसरे का पूरक बनाकर चलेंगे तभी मानवता का कल्याण संभव हो पाएगा। सच्चा विज्ञान भी मानव का कल्याण चाहता है और सच्चा धर्म भी। यदि आज धर्म तथा विज्ञान का आधार केवल मानवता हो, तो विश्व में शांति, एकता, प्रेम तथा भाईचारा का साम्राज्य हो सकता है। विज्ञान जीवन को नई दिशा देगा, तो धर्म मन को शांति और जीवन को नया आनंद।

राजनीति के खिलाड़ी चुनावों में खुलकर सांप्रदायिकता के आधार पर वोट माँगते हैं। कुछ राजनैतिक दलों का आधार ही सांप्रदायिक परेशानियाँ हैं। अतः आज जातीय तथा धार्मिक दोनों ही प्रकार की सांप्रदायिकता को समूल नष्ट करने की प्रबल आवश्यकता है। इसके लिए मनुष्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना परम आवश्यक है। तभी वह इस भेद को समझ पाएगा कि ईश्वर एक है या अनेक।

संक्षेप में यदि आज धर्म तथा विज्ञान का आधार केवल मानवता हो, तो चारों तरफ शांति और प्रेम का प्रसार होगा। मनुष्य का जीवन सुखमय होगा और दंगे-फसाद जड़ से समाप्त हो जाएँगे। यह दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें इन दोनों को अवसर अवश्य देना चाहिए।

विज्ञापन और हम

विज्ञापन एक कला है। विज्ञापन का मूल तत्व यह माना जाता है कि जिस वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है, उसे लोग पहचान जाएँ और उसको अपना लें। निर्माता कंपनियों के लिए यह लाभकारी है। शुरु-शुरु में घंटियाँ बजाते हुए, टोपियाँ पहनकर या रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर कई लोगों द्वारा गलियों-गलियों में विज्ञापन किए जाते थे। इन लोगों द्वारा निर्माता कंपनी अपनी वस्तुओं के बारे में जानकारीयाँ घर-घर पहुँचा देते थे। विज्ञापन की उन्नति के साथ कई वस्तुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ।

समाचार-पत्र, रेडियो और टेलिविज़न का आविष्कार हुआ। इसी के साथ विज्ञापन ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरु कर दिया। नगरों में, सड़कों के किनारे, चौराहों और गलियों के सिरों पर विज्ञापन लटकने लगे। समय के साथ बदलते हुए समाचार-पत्र, रेडियो-स्टेशन, सिनेमा के पट व दूरदर्शन अब इनका माध्यम बन गए हैं।

आज विज्ञापन के लिए विज्ञापनगृह एवं विज्ञापन संस्थाएँ स्थापित हो गई हैं। इस प्रकार इसका क्षेत्र विस्तृत होता चला गया। आज विज्ञापन को यदि हम व्यापार की आत्मा कहें, तो अत्युक्ति न होगी। विज्ञापन व्यापार व बिक्री बढ़ाने का एकमात्र साधन है। देखा गया है कि अनेक व्यापारिक संस्थाएँ केवल विज्ञापन के बल पर ही अपना माल बेचती हैं।

कुल मिलाकर विज्ञापन कला ने आज व्यापार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और इसलिए ही इस युग को विज्ञापन युग कहा जाने लगा है। विज्ञापन के इस युग में लोगों ने इसका गलत उपयोग करना भी शुरू कर दिया है।

विज्ञापन के द्वारा उत्पाद का इतना प्रचार किया जाता है कि लोगों द्वारा बिना सोचे-समझे उत्पादों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। हम विज्ञापन के मायाजाल में इस प्रकार उलझकर रह गए हैं कि हमें विज्ञापन में दिखाए गए झूठ सच नज़र आते हैं। हमारे घर सौंदर्य-प्रसाधनों तथा अन्य वस्तुओं से अटे पड़े रहते हैं। इन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है भी या नहीं हम सोचते नहीं हैं।

बाज़ार विलासिता की सामग्री से अटा पड़ा है और विज्ञापन हमें इस ओर खींच कर ले जा रहे हैं। लुभावने विज्ञापनों द्वारा हमारी सोच को बीमार कर दिया जाता है और हम उनकी ओर स्वयं को बंधे हुए पाते हैं। मुँह धोने के लिए हज़ारों किस्म के साबुन और फेशवास मिल जाएँगे। मुख की कांति को बनाए रखने के लिए हज़ारों प्रकार की क्रीम। विज्ञापनों द्वारा हमें यह विश्वास दिला दिया जाता है कि यह क्रीम हमें जवान और सुंदर बना देगा। रंग यदि काला है, तो वह गोरा हो जाएगा।

इन विज्ञापनों में सत्यता लाने के लिए बड़े-बड़े खिलाड़ियों और फ़िल्मी कलाकारों को लिया जाता है। हम इन कलाकारों की बातों को सच मानकर अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं परन्तु नतीज़ा ठन-ठन गोपाल।

हमें विज्ञापन देखकर जानकारी अवश्य लेनी चाहिए परन्तु विज्ञापनों को देखकर वस्तुएँ नहीं लेनी चाहिए। विज्ञापनों में जो दिखाया जाता है, वे शत-प्रतिशत सही नहीं होता। विज्ञापन हमारी सहायता करते हैं कि बाज़ार में किस प्रकार की सामग्री आ गई है।

हमें विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं की जानकारीयाँ प्राप्त होती हैं। विज्ञापन ग्राहक और निर्माता के बीच कड़ी का काम करते हैं। ग्राहकों को अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए विज्ञापनों द्वारा आकर्षित किया जाता है।

लेकिन इनके प्रयोग करने पर ही हमें उत्पादों की गुणवत्ता का सही पता चलता है। आज आप कितने ही ऐसे साबुन, क्रीम और पाउडरों के विज्ञापनों को देखते होंगे, जिनमें यह दावा किया जाता है कि यह साँवले रंग को गोरा बना देता है। परन्तु ऐसा नहीं होता है। लोग अपने पैसे व्यर्थ में बरबाद कर देते हैं। उनके हाथ मायूसी ही लगती है। हमें चाहिए कि पूरे सोच-समझकर उत्पादों का प्रयोग करें।

विज्ञापन हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं परन्तु कौन-सा उत्पाद हमारे काम का है या नहीं ये हमें तय करना चाहिए। ये वस्तु हमारे प्रयोग के लिए ही बनाई गई हैं। परन्तु वे हमारे उपयोग न आकर हमारा समय और पैसा दोनों बरबाद करें, ये हमें अपने साथ नहीं होने देना चाहिए।

विद्यार्थियों में बढ़ता असंतोष

देश का आने वाला भविष्य आज की युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। यही देश के नए संचालक बनते हैं। शिक्षा के माध्यम से इन युवाओं को ज्ञानवान बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन युवाओं का विद्यार्थी जीवन ही असंतोष से भरा हुआ है। भारत में यह समस्या एक ज्वलंत समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। यह अशांति भारत में ही नहीं पूरे संसार के लिए कठिनाई का कारण हो सकती है।

क्योंकि विद्यार्थी हर देश में है। हमारे देश में भी इस समस्या ने दर्शन दे दिए हैं। यदि हमारे द्वारा इस समस्या को समय पर हल नहीं किया, तो इसके भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। हमारे विद्यार्थियों में उत्पन्न असंतोष का भाव ही हमारे देश के लोगों के अंदर बढ़ते असंतोष का भाव है।

वर्तमान समय में विद्यार्थियों की गतिविधियाँ हिंसा से युक्त कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में अधिक देखने को मिलती है। हम कई बार समाचार के माध्यम से यह सुनते आए हैं कि आमुक विद्यालय के छात्रों ने वहाँ जाम लगा दिया या क्रोध में आकर बसों और वाहनों से भारी तोड़-फोड़ की है। यह सब इसी हिंसा का रूप है।

कई बार समाचार-पत्रों या समाचार चैनलों में इस तरह के समाचार पढ़कर या देखकर मन खिन्न हो जाता है कि आमुक विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति की पिटाई कर दी। सरकार द्वारा और शैक्षिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों की मांगों की अनदेखी की जाती रहती है, इसका परिणाम यह होता है कि वे दंगे, हड़तालें और प्रदर्शन आदि का सहारा लेते हैं।

महंगाई के साथ-साथ विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों का शुल्क बढ़ता जा रहा है, इतना शुल्क देना विद्यार्थियों के लिए असंभव-सा हो जाता है। विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी शिकायत का सबसे बड़ा कारण रही है। विद्यालयों में पुस्तकों का अभाव भी उन्हें खासी परेशानी में डाले रहता है। आज शिक्षा धन कमाने का ज़रिया बनती जा रही है इसलिए शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है।

कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा की योजनाओं का नितांत अभाव है, जिसके विषय में सरकार द्वारा सोचा नहीं जाता है इसलिए वे बेरोज़गार घूमते नज़र आते हैं। ये उनके तनाव को और अधिक बढ़ा देता है।

हमारे देश में जाने-अनजाने विदेशी भाषा का वर्चस्व बढ़ रहा है। विद्यालय या विश्वविद्यालय भी इस भाषा को अपनाए हुए हैं। अनेकों ऐसे छात्र हैं, जो इस भाषा में स्वयं को असहज पाते हैं और इसका परिणाम होता है कि उनमें असंतोष उत्पन्न होने लगता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यदि वे नौकरी की तलाश में जाते भी हैं, तो अंग्रेज़ी भाषा के कारण नौकरी से वंचित रह जाते हैं।

सरकार को चाहिए कि इन सभी विषय पर ध्यान दें। यह समस्या इतनी बढ़ी नहीं है, जितना अनदेखी के कारण इसे बढ़ाया जा रहा है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि नींव ही कमज़ोर होगी, तो देश कैसे खड़ा होगा। ये हमारे देश का भविष्य है। इनके अंदर वो ऊर्जा है, जो हमारे देश को नई दिशा दे सकता है।

यदि इनकी समस्याओं को इसी तरह छोड़ दिया जाए, तो ये भटक कर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर नई नीतियाँ और नए कानूनों को लागू करना चाहिए। हमें शिक्षा में सुधार

करने की आवश्यकता है। छात्रों की आवश्यकताओं को समझने की ज़रूरत है। यदि इनकी समस्याएँ हल नहीं की जाएंगी, तो इनके मन में असंतोष की भावना जन्म लेगी, असंतोष क्रोध को बढ़ाएगा और इसका परिणाम देश के लिए उचित नहीं होगा। हमें आवश्यकता है, इनकी सोच को नई दिशा प्रदान करें और देश का कल्याण करें।

विद्यार्थी और अनुशासन

"अनुशासन सफलता की कुंजी है" किसी ने सही कहा है। अनुशासन मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य अनुशासन से जीवनयापन करता है, तो वह स्वयं के लिए सुखद और उज्ज्वल भविष्य की राह निर्धारित करता है। मनुष्य द्वारा नियमों में रहकर नियमित रूप से अपने कार्य को करना अनुशासन कहलाता है।

यदि किसी के अंदर अनुशासनहीनता होती है, तो वह स्वयं के लिए कठिनाईयों की खाई खोद डालता है। विद्यार्थी हमारे देश का मुख्य आधार स्तंभ है। यदि इनमें अनुशासन की कमी होगी, तो हम सोच सकते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा।

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। यदि उसके जीवन में अनुशासन नहीं होगा, तो वह जीवन की दौड़ में सबसे पिछड़ जाएगा। उसकी अनुशासनहीनता उसे असफल बना देगी। विद्यार्थी के लिए अनुशासन में रहना और अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना बहुत आवश्यक है। यह वह मार्ग है, जो उसे जीवन में सफलता प्राप्त करवाता है।

विद्यार्थियों को बचपन से ही अनुशासन में रखना आवश्यक है। अनुशासन में रहने की सीख उसे अपने घर से ही प्राप्त होती है। विद्यार्थी को चाहिए कि विद्यालय में रहकर विद्यालय के बनाए सभी नियमों का पालन करें। उसका स्वयं के लिए अनुशासित व्यवहार उसे सफलता के शिखर पर आसीन कर सकता है।

विद्यार्थी को चाहिए कि प्रतिदिन कठोर अनुशासन का पालन करते हुए प्रातःकाल जल्दी उठकर व्यायाम करे, अध्यापन करे, स्नान आदि करे, विद्यालय के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाए, समय पर विद्यालय जाए, घर आकर समय पर भोजन करे, समय पर अध्यापन कार्य और खेलने भी जाए। रात्रि के भोजन के पश्चात समय पर सोना भी विद्यार्थी के लिए उत्तम होता है।

इस तरह की व्यवस्थित जीवन-शैली उसे अनुशासन में रहना सिखाएगी, तरोताज़ा भी रखेगी और जीवन में स्वयं को सट्टा भी बनाए रखने में सहायता करेगी। विद्यार्थी को विद्यालय में भी नियमित रूप से अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे सभी पाठों का अध्ययन पूरे मन से और समय से करना आवश्यक है। घर के लिए दिए गए गृहकार्य को भी नियमित रूप से पूरा करना उसका कर्तव्य बनाता है। इस प्रकार की जीवनशैली के लिए अनुशासन का बहुत महत्व होता है।

यदि आँखें उठा कर देखा जाए, तो अनुशासन हर रूप में विद्यमान है। प्रकृति में तो अनुशासन के बहुत से उदाहरण दृष्टिगोचर हो जाएँगे। सूर्य समय पर उगता और समय पर अस्त हो जाता है। जीव-जन्तु भी इसी अनुशासन का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। पेड़-पौधों में भी यही अनुशासन व्याप्त रहता है। घड़ी की

सुई भी अनुशासन का पालन करते हुए चलती है। ये सब हमें अनुशासन की ही शिक्षा देते हैं। हमें भी इनकी ही तरह अनुशासन में रहकर जीना सिखना चाहिए।

बदलते समय के साथ-साथ आज अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। स्वयं को नियमों में बांधकर रखना विद्यार्थियों को अच्छा नहीं लगता है। वे अनुशासन को पैर में लगी बेड़ियों के समान समझते हैं। इस अनुशासनहीनता के कारण विद्यार्थियों का जीवन अस्त-व्यस्त सा हो रहा है।

उनमें तनाव बढ़ने लगा है। वे न तो समय पर भोजन करते हैं और न ही पढ़ते हैं। अपना सारा समय खेलने-कूदने या व्यर्थ के कामों में व्यतीत कर देते हैं। परीक्षा आने पर उन्हें ध्यान आता है कि उन्होंने अध्ययन तो किया ही नहीं है। इस कारण उनमें तनाव बढ़ने लगता है और परीक्षा में असफलता हाथ लगती है।

यदि विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं होगा, तो समाज की दशा बिगड़ेगी और यदि समाज की दशा बिगड़ेगी, तो देश कैसे इससे अछूता रहेगा। हमें चाहिए कि विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों का मन चंचल और शरारती होता है। अनुशासन उनके चंचल मन को स्थिर करता है और शरारतों पर अंकुश लगता है।

यह स्थिरता उन्हें जीवन के संघर्ष में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने में सहायक होती है। अनुशासन विद्यार्थी के अंदर व्याप्त गुणों का विकास करता है। अनुशासन विद्यार्थी रूपी पत्थर को तराशकर बेशकीमती हीरे में बदल देता है। अज्ञात ने सही कहा है-

"अनुशासन परिष्कार की अग्नि है, जिससे प्रतिभा योग्यता बन जाती है।"

विद्यार्थी जीवन में शिक्षा का महत्व

विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। विद्यार्थीकाल मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद से युक्त समय होता है। इस समय मनुष्य की शिक्षा आरंभ होती है। एक ऐसी दुनिया में आगमन होता है, जहाँ ज्ञान से उसका परिचय होता है। वैसे तो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवनकाल में कभी भी शिक्षा ले सकता है। परन्तु बाल्यकाल से लेकर युवावस्था का जो समय होता है, उस समय सारा ध्यान शिक्षा अर्जित करने में केन्द्रित होता है।

शिक्षा और विद्यार्थी का नाता माँ और पुत्र जैसा होता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करती है, उसी तरह शिक्षा बच्चे का माँ के समान विकास करती है। वह उसके लिए नए आयामों को खोल देती है। अपने जीवन और आस-पास के वातावरण को भली प्रकार से समझने में शिक्षा सहायिका के समान भी कार्य करती है।

मस्तिष्क और विचारों के विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा का स्तर सीमित न होकर बहुत व्यापक होता है। यह अनंत आकाश के समान फैली हुई होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है- भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है-

न चोरहार्यं न च राजहार्यं
न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी ।
व्यये कृते वर्धते एवमित्यं
विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम् ॥

इस श्लोक के अनुसार विद्यारूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता, राजा इसे ले नहीं सकता, भाईयों में इसका बंटवारा नहीं होता, इसका भार नहीं लगता अर्थात् जितनी भी ग्रहण किया जाए (पढ़ाई की जाए) यह बोझ नहीं लगती है। इसको जितना भी खर्च किया जाए, उतनी ही बढ़ती है अर्थात् पढ़ाने से ज्ञान में वृद्धि ही होती है लेकिन खर्च नहीं होती। सचमुच, विद्यारूप धन सभी प्रकार के धनों में सर्वश्रेष्ठ है।

इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। माता-पिता बच्चे के जन्म के पश्चात् ही उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए चिंतित हो जाते हैं। वे भली-भांति जानते हैं कि यही शिक्षा उसके भविष्य को निर्धारित करती है। शिक्षा के द्वारा ही हम स्वयं के लिए उज्ज्वल भविष्य की संभावना तलाश कर सकते हैं।

यदि हम डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आदि कुछ भी बनना चाहते हैं, तो शिक्षा इसमें हमारी सहायता करती है। हमारे समुचित विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा मात्र शब्द नहीं है। यह ऐसा समुद्र है, जिसमें जितनी गहराई से डुबकी लगाई जाए, उतना ही लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य के स्वरूप को निखारने में यह महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षित व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी की देन होता है।

उसके विचारों में नवीनता शिक्षा का रूप है। समाज और देश का विकास भी शिक्षा के कारण ही संभव हो पाता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाता है। गाँवों में साहूकारों, ज़मींदारों और सूदखोरों द्वारा अशिक्षित व्यक्ति का शोषण किया जाता है परन्तु अशिक्षा इस शोषण पर लगाम लगा सकती है।

बहुत समय पहले भारत में स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। वे लगातार शोषण का शिकार हो रही थीं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा दर नाममात्र की थी। परन्तु शिक्षा रूपी समुद्र में गोते लगाने के बाद स्त्रियों के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, वह सराहनीय है। अतः हम शिक्षा के महत्व को नकार नहीं सकते हैं।

भारत जैसे देश में अनेक लोग बेरोज़गार हैं और इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। यदि हम अपने देश की प्रगति और विकास चाहते हैं, तो हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा और यह संकल्प लेना होगा कि देश में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए सहायता अवश्य करेंगे।